

लीक

से

हटकर

राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल

स्मृति प्रकाशन
इलाहाबाद

© लेखक

संस्करण : प्रथम, १९८३ ई०

प्रकाशक : स्मृति प्रकाशन

१२४, शहराराबाग

इलाहाबाद-२११००३

मुद्रक : बोना प्रिंटिंग प्रेस

३३८, नईबस्ती कीटगंज

इलाहाबाद

मूल्य : बीस रुपये मात्र

पूज्य माता व पिता को
साबर
समर्पित

•

—राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल

मुख्य मंत्री

सन्देश

०

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल की कृति 'लीक से हटकर' को देखकर मुझे प्रेमचन्द जी का यह कथन स्मरण हो गया कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली सच्चाई की मशाल है। श्री शुक्ल मध्य प्रदेश में संसदीय जीवन के एक जागरूक एवं सशक्त स्वर है। उनकी राजनीतिक क्रियाशीलता, सिद्धान्तिक स्पष्टवादिता तथा कार्यशीली की स्वच्छता से मैं सदैव प्रभावित रहा हूँ किन्तु उनकी साहित्य-रचना निश्चित ही एक पृथक् उपलब्धि है।

इस कृति के कुछ निबन्धों को मुझे देखने का अवसर मिला। उनमें शुक्ल जी का प्रखर चिन्तन, मौलिक तार्किकता और रुचिकर प्रस्तुतीकरण स्पष्ट है। 'गाँव का दर्द', 'प्रजातंत्र कुछ प्रश्न कुछ चुनौती', 'वैधानिकता एवं नैतिकता', 'संसदीय कार्य पद्धति, कुछ विचार', 'धर्म, भगवान और आदमी' तथा 'नये संदर्भ में लेखक का दायित्व', आदि रचनाओं में वैचारिक ऊष्मा और अभिव्यक्ति की ऊर्जा है।

पुरानी पीढ़ी राष्ट्रकर्मियों एवं राजनीतिज्ञों में साहित्य सृजन के प्रति अधिक लगाव था। राष्ट्रनिर्माता पण्डित जवाहरलाल नेहरू की कृतियाँ तो विश्व-साहित्य में प्रख्यात हैं। हमारे प्रदेश में भी पण्डित माधवराव सप्रे, पण्डित माधनलाल चतुर्वेदी 'भारतीय आत्मा', सेठ गोविन्ददास, पण्डित द्वारिका प्रसाद मिश्र, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी हस्तियाँ रही हैं। श्री शुक्ल जी इस परम्परा को समृद्ध करके आगे बढ़ाये, यही मेरी शुभाकांक्षा है। एक मिनट के नाते मैं उनसे ओर साहित्यिक कृतियों की अपेक्षा करता हूँ।

दिसम्बर, १९८४

जर्जुन सिंह
मुख्यमंत्री
मध्य प्रदेश शासन

शुभाकांक्षा

हिन्दी साहित्य में तुलनात्मक दृष्टि से कहानी या उपन्यास की अपेक्षा निबंधों की संख्या कम है। कुछ वर्ष पूर्व मैंने एक नये लेखक के लिये शुभकामना सन्देश में लिखा था “गद्य साहित्य के क्षेत्र में निबंध का वही स्थान है, जो पद्य साहित्य के क्षेत्र में दोहे का है।” कहा गया है :—

ज्यों रहीम नट कुंडली सिमिट कूदि कड़ि जाहि ।

जिस प्रकार कोई नट एक लघुचक्र में से अपने सारे शरीर का सन्तुलन करते हुए उसमें से परिधि को बिना छूए हुए निकल जाता है, उसी प्रकार एक निबंधकार अपने विषय की सीमाओं का विश्लेषण करते हुए एक लघु परिवेश में अपनी सारी बातें कह देता है। किसी भी निबंध-रचना में अभिव्यक्ति कौशल, एकाग्रता, चिन्तन और भावना का सम्मिलित सन्तुलित प्रतिबिम्ब होना चाहिये।

पिछले दिनों प्रयाग में मेरे शिष्य एवं सहयोगी डा० गंगा नारायण त्रिपाठी (अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, बिलासपुर, म० प्र०) मुझसे मिलने आये। चर्चाओं के बीच मध्यप्रदेश के अंचल विशेष छत्तीसगढ़ का प्रसंग आया। इस अंचल से मेरा भावनात्मक संबंध रहा है। शैशव की देहरी पार करके मेरी तरुणाई के कुछ मधुर एवं मार्मिक क्षणों का अंकन यही हुआ था। मुझे लगा कि पं० माधव राव सप्रे, पं० लोचन प्रसाद पाडेय, डा० वसुदेव प्रसाद मिश्र और श्री जगन्नाथ प्रसाद भानु की साहित्य-परंपरा इस अंचल में पूरी तरह पुष्ट एवं विकसित नहीं हो सकी है। इसी संदर्भ में डा० त्रिपाठी ने वहाँ के कुछ नवीन लेखकों का परिचय दिया। इस परिचय-शृंखला में एक नया नाम सामने आया श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल का।

श्री शुक्ल जी के कुछ निबंधों को पढ़कर मुझे हर्ष हुआ। इन रचनाओं में निश्चित रूप से चिन्तन की एक सशक्त पृष्ठभूमि है। इनमें मानवीय संवेदनाओं की लघु उमियां पाठक को आनंदित, प्रेरित एवं रसस्नात कराने में सफल है।

यद्यपि लेखक के दृष्टिकोण में वैचारिकता की उदमा अधिक है किन्तु उसके

संवेदनशील भावनापूर्ण अन्तरप्रवेश का रंग भी कई रचनाओं में प्रखर है। संक्षेप में, श्री शुक्ल के कुछ निबन्ध छत्तीसगढ़ लोक-जीवन की उत्साहप्रियता, मालव की भाव-संपन्नता, बूंदेलखंड की वीरोचित निर्भीकता एवं महाकोशल की भस्कारप्रियता के साथ साहित्य-देवता का अभिप्रेक करते हैं। किन्ती नव-परिणीता वधू के अदगुंठन को पार करती हुई सौन्दर्य रश्मियाँ जिस प्रकार वातावरण को रमसिक्त एवं जीवन्त कर देती हैं, उन्ही प्रकार इन निबंधों में लेखक का कवि हृदय विविध दृश्यों, परिदृश्यों में अपना अस्तित्वबोध करा देता है।

श्री शुक्ल जो मध्य प्रदेश के तेजस्वी एवं स्पष्ट राजनीति कर्मियों में हैं। उनके व्यक्तित्व की यह शुभ्रता राजनीति की वर्तमान विकृति से अलग, लीक से हटकर है, इसीलिये प्रस्तुत कृति 'लीक में हटकर' न केवल नाम वरन् अपनी वैचारिक अवधारणा में भी सार्थक है।

राजनीति की मरुभूमि में श्री शुक्ल की साहित्यिक रसधारा निरंतर प्रवाहित हो, यह मेरी कामना है। हिन्दी साहित्य के इस नये अंकुर के लिये मेरा आशीर्वाद है।

'साकेत'

प्रयाग स्ट्रीट

इलाहाबाद (उ० प्र०)

—डा० रामकुमार वर्मा

अनुक्रम



- गाँवों का दर्द : ८
महूँगाई एवं बेरोजगारी : एक दृष्टिकोण : १७
सोकतंत्र : कुछ प्रश्न और चुनौतियाँ : २५
नये संदर्भ में लेखक का दायित्व : ३३
तंत्र-मंत्र और ज्योतिष मेरी दृष्टि में : ३७
सहकारी आन्दोलन चुनौती के दामरे में : ४५
धर्म, भगवान और आदमी : ५०
वैधानिकता और नैतिकता : ६१
ब्राह्मण सावधान ! : ६५
भारतीय संसदीय जीवन के कार्य-कलाप : ७०





जून सन् १९७२ में, मुझे भारतीय संसदीय शिष्ट-मण्डल के सदस्य के रूप में ग्रेट ब्रिटेन जाना पड़ा था। आवसफोर्ड में कामनवेल्थ एजुकेशन इन्स्टीट्यूट के अंतर्गत एक कार्यक्रम था। भोज के समय मेरे मेजबान आवसफोर्ड विश्वविद्यालय के राजनीति के प्रोफेसर थे। चर्चा में उन्होंने बताया कि ग्रेट ब्रिटेन में इस समय ६० लाख लोग बेकारी की समस्या से पीड़ित हैं, और यह बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि इस शताब्दी की एक भीषण समस्या अति नगरीकरण है और इससे यथासंभव शीघ्र ही मुक्ति पा लेना मानव कल्याण की दृष्टि से बेहतर होगा। उन्होंने यह भी कहा कि वे इस समस्या के निराकरण हेतु भारतवर्ष के प्रति पूरी आशा लगाए हुए हैं क्योंकि यह महारत्न गाँधी का देश है जिन्होंने अतिनगरीकरण व बेरोजगारी को दूर करने हेतु सम्पूर्ण जीवन-दर्शन दिया है, जिससे शोषण व विषमता समाप्त होकर शत प्रतिशत लोगों को रोजगार मिल सकता है तथा खुशहाली हो सकती है। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार क्या कर रही है? आपके देश की सबसे बड़ी समस्या तो विराट जन-शक्ति का उपयोग करने की है। करोड़ों हाथों को काम देने से ही समस्या सुलझ सकती है। मैं मौन था, और अपने आप में विचार कर रहा था कि एक प्रोफेसर जो ८००० मील सागर पार विलायत में बैठा है अतिनगरीकरण से मानव को बचाना चाहता है तथा करोड़ों हाथों को काम देने के लिये विकेंद्रित कुटीर उद्योगों को ही एकमात्र विकल्प मानता है, तथा दूसरी ओर भारत के एक दलबदलू मंत्री से अनायास भेंट हुई। उनके मिल के कपड़ों की ओर (जो वे पहने थे) ध्यान दिलाए जाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई जब तक कांग्रेस में ये शरम निहाज से खादी पहिनाता पड़ता था, अब वैसी कोई बात नहीं रही और सब पूछिए तो स्वतन्त्र भारत में जब सब मिल देशी हैं तो मिल के कपड़े

पहिनने में क्या दोष है ? खैर, मैंने उनका जवाब मजाक में यह दिया कि जहूर घात प्रतिघात देशी हो तो क्या आप उसे खाना पसन्द करेंगे ? इस उत्तर को सुनकर मंत्री जी चौक अवश्य गए थे ।

एक विद्वान ग्रामीण अर्थशास्त्री ने बताया कि बड़े उद्योग वाले गाँवों के माथ अन्यायपूर्वक पूर्वाग्रह युक्त विद्येय की भावना रखते हैं । वे गाँवों में घेती के सिवाय और कुछ दूमरी चीजें देखना नहीं चाहते । उनका इरादा है कि गाँव के उद्योग फिर से जीवित न हो सकें धीरे केन्द्रित उद्योगों के जरिए पूंजी उनके पास रहे, गाँव में न जावे । गाँव के बेरोजगार लोगों को यदि काम देना है तो घेती के लिए जमीन बांटकर काम दिया जा सकता है अन्य रूप से नहीं । चाहे जंगल की जमीन निकालनी पड़े चाहे ऊसर व गोचर की जमीन हो, आखिर कितनी जमीन बाँटेंगे ? जमीन की एक सीमा है, उसे खींचकर बढ़ाया तो नहीं जा सकता है । जनसंख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है । हमारे देश की वर्तमान जनसंख्या ७० करोड़ के आसपास है । ४० करोड़ से भी ज्यादा लोग गरीबी की जीवन रेखा के नीचे का जीवन व्यतीत करने को विवश हैं । वे अघनंगे व अघपेट हैं । भूमि की सीमा निर्धारण करने के बजाय सम्पूर्ण भूमि का राष्ट्रीयकरण भी कर दे तो क्या समस्या हल होने वाली है ? देश में कुल मिलाकर कृषि-योग्य भूमि लगभग ३० करोड़ एकड़ है तथा वर्तमान में जनसंख्या ७० करोड़ है । प्रति व्यक्ति को आधे एकड़ भूमि भी इस हिसाब से नहीं पड़ती । नंगे को लगेटी भी नहीं मिलेगी । लाभप्रद जोत की तो बात ही अलग है । जाहिर है बेरोजगारी निवारण व पुशहाली के लिये घेती के साथ-साथ बड़े पैमाने पर सामोद्योगों को बढ़ावा देना होगा ।

ग्रेट ब्रिटेन में ही सन् ७२ में मुझे लेबर पार्टी के एक एम० पी० श्री वेनयान के कृषि फार्म में जाने का अवसर मिला था । डा० जी० एस० डिल्ली तथा श्री एस० एल० शंखधर भी हमारे साथ थे । उनका १४ हजार एकड़ का फार्म था । १२ हजार एकड़ में वे स्वयं घेती करते थे तथा ५०-५० एकड़ के फार्म बटाई में दिए गए थे । बटाईदारों से बात करने पर बताया गया कि यह ५० एकड़ भी अत्यन्त अन्तःप्रद उनके लिये है । वे लाभप्रद घेती १५० एकड़ की मानते हैं ।

सोवियत रूस में भी छोटे-छोटे फार्म हटाकर उनके स्थान पर बड़े फार्म स्थापित किये जा रहे हैं तथा अब तो कई स्थानों पर इन्सैटिव के नाम पर

व्यक्तिगत किसानों को भी जमीन दी जा रही है। अपने यहाँ भी ऊसर, जंगल वाली दो-दो एकड़ जमीन नंगे भूखे मजदूरों को बाँटकर दान का यश कमाया जा रहा है। इन भूमिहीनों को न तो बैल के लिए, न बीज के लिए, न साधन व सिंचाई के लिए धनराशि मुहैया कराई जाती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भूमि समतलीकरण से लेकर उपज आने तक उस भूमिहीन मजदूर को अपने पास से खाना पड़ता है जो उसके लिए सम्भव नहीं होता है। रोज मजदूरी करना और उससे जीवनयापन करना यही उसकी नियति है। होना तो यह चाहिए कि उसे जीवनयापन हेतु भी पोषण अनुदान मिलता। शहरी उद्योगों के लिए अनुदान, लक्ष्मी-पुत्रों को सबसीडी और इन मजदूरों को भुखमरी। नतीजा होता है ये सुखवासी अपनी जरूरतों के लिए साहूकारों की शरण लेते हैं और समस्त बंटित भूमि साहूकारों के पास पुनः चली जाती है। यह तमाशा हो रहा है, ग्रामीण बेरोजगारों के साथ।

प्रश्न यह उठता है कि सहकारी क्षेत्र में भूमि व कृषि की व्यवस्था की जावे। विगत ५० वर्ष के अनुभव से तो लगता है कि सहकारी क्षेत्र का भगवान ही मालिक है। भूमिहीनों को ऋण की कोई सुविधा नहीं है। जमानत और अन्य आडम्बरों की भारी परेशानी है। सहकारी बैंक के कर्मचारियों के विरुद्ध फौजदारी मुकदमों इसलिए चल रहे हैं कि कुएँ के लिए ऋण लेकर उसका आधा पैसा उन्होंने ऋणियों से जबरन मार-पीटकर छीन लिया है। बिलासपुर के मुंगेसी तहसील में एक सहकारी कृषि सोसायटी है। बडिया ४०० एकड़ भूमि है। लेकिन उसकी स्थिति क्या है? भूमिहीन भटक रहे हैं, भूमिवांन उसके सदस्य हैं। घाटे का इतिहास बना हुआ है।

भूमिहीनों को भूमि बंटन का अच्छा घासा मजाक बिनासपुर जिले के एक सिंचाई बाँध में देखने को मिलता है। झब से बाहर आई प्रति वर्ष ८,९० हजार एकड़ जमीन भूमिहीनों में नोलाम होती है। उनसे प्रीमियम लिया जाता है, जो अग्रिम जमा करना होता है। भील, बैगा व भूमिहीन आदिवासी एवं हरिजन यह राशि अपने टेंट से जमा कर सकने में असहाय रहते हैं। शासन इस दिशा में उनको आर्थिक सहायता पहुँचाने हेतु न केवल मौन रहता है वरन् बैल, बीज व साधन की सुविधा भी जुटाने की उसकी कोई योजना नहीं होती। परिणामस्वरूप सेठ-साहूकार व सरकारी अफसर सामने आते हैं। सिधण्डी रूपी भूमिहीनों को सामने रखकर प्रीमियम की अग्रिम राशि के

जमा करते हैं। बीज, बैल, रख-रखाव, उर्वरक व कीटनाशक का प्रबन्ध करते हैं। भूमिहीन बेचारा वैसे का वैसे रहकर केवल मजदूरी प्राप्त करता है तथा वह भी पिछले कर्ज में मुजरा कराता है तथा २०,००० विक्टल गेहूँ की पर्सल व सैकड़ों मन तम्बाकू सेठ-साहूकार व सरकारी अफसर के घर पहुँचता है।

आजकल गाँवों की खेती भी शहरी उद्योगपतियों के हाथों में चली जा रही है। किसी भी बड़े शहर व कस्बे के इर्द-गिर्द ५-१० मील जमीन का सर्वेक्षण कराया जावे तो ज्ञात होगा कि गत १५-२० साल में आधे से ज्यादा किसान भूमिहीन हो गये हैं और उनकी भूमि शहर के उद्योगपतियों के हाथों आ गई है। शिक्षा, चिकित्सा तथा जिन्दगी की अन्य जरूरतों के हाथों किसान विवश होकर अपनी जमीन बेच रहा है एवं १५-२० वर्ष पूर्व छोन्चा रखने वाला व्यापारी एक के बाद एक नये घन्धे प्रारम्भ कर लखपति और उद्योगपति बनता जा रहा है। मैंने पुराने जमाने के राजाओं और जमींदारों को भी देखा है जो अब गरीब हो रहे हैं तथा कर्ज आदि लेकर अपना काम चला रहे हैं। स्पष्ट है कि हमारी अर्थव्यवस्था कृषिमूलक एवं ग्रामोद्योग प्रधान न होकर बड़े उद्योग एवं व्यवसाय प्रधान हो चुकी है। ये ही लोग राजनीति एवं प्रशासन में अपना वर्चस्व स्थापित कर गाँधी की मौखिक जय-जयकार करते हुए वास्तविकता में गाँधी की शपथ परीक्षा कर रहे हैं।

खेती के सम्बन्ध में कृषि उपज मूल्य निर्धारण की पद्धति भी कृषक-विरोधी है। हमारे यहाँ ज्यादातर जमीन सूधी है, उसमें आँकड़ों के आधार पर पैदावार नहीं होती। सिंचित भूमि में भी जो उत्पादन होता है उसके मूल्य निर्धारण में वैज्ञानिक पद्धति नहीं अपनाई जाती है। भूमि का घिसारा, रुम का मूल्य, बैल, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, बिजली, पानी आदि काटकर क्या किसान को लाभप्रद मूल्य दिया जाता है? नहीं। कहा जाता है कि उपभोक्ता को सस्ता अनाज मिले चाहे किसान का दिवाला क्यों न निकल जावे। सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था किसान-विरोधी है। मिलो व मशीनों के उत्पादन का मूल्य निर्माता ठहराता है तथा कृषि उपज का मूल्य सरकार या व्यापारी ठहराते हैं। उपभोक्ताओं की ज्यादा चिंता है तो उन्हें प्राइस सबसीडी दीजिए। तबले भी इसा बेचारे किसान के सिर क्यों मढ़ा जाता है? आए दिन जब डबाल पड़ता है, परलु हराव होती है तब तो उसे मुआवजा नहीं

दिया जाता। फसल बीमा भी नहीं कराया जा रहा है। मेरा तो यह भी सुझाव है कि लागत मूल्य का पता लगाने के लिए किसी किसान के खेत को देखने के बजाय किसी सरकारी फार्म का ही खर्च एवं उत्पादन का पता लगा लेना पर्याप्त होगा। यह भी तर्क दिया जाता है कि अनाज के दाम कम होने से सभी वस्तुओं के दाम कम हो जावेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि धान और गेहूँ के भाव कम हैं पर जीवनोंपयोगी अन्य वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। यह भी विचारणीय है कि जब किसान अपना अनाज बेचता है तो बाजार भाव कम रहता है और वही भाव जब उसके पास से निकल जाता है तो उसके भाव डेढे व दूगने हो जाते हैं। यह भी शहरी अर्थव्यवस्था की विडम्बना है।

अपरोक्ष रूप से संभवतः एक राष्ट्रव्यापी पटयन्त्र अन्तजाने में ही ग्रामीण नेतृत्व के विरुद्ध चल रहा है। एकाधिकारवादी उद्योगपतियों व पूँजीवादियों का देश की राजनीति व प्रशासन में, चाहे वह किसी भी राजनैतिक दल का क्या न हो, पूरा दखल बना रहे, यह प्रयास इन लोगों का भारतवर्ष की आजादी के बाद से ही प्रारम्भ है। प्रयास यह है कि कृषिमूलक ग्रामोद्योग स्रष्टान ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्थापित न हो सके क्योंकि यदि ऐसा होता है तो एकाधिकारवादो पूँजीवाद समाप्त हो जावेगा। देश में पूँजी के महत्व से इन्कार नहीं किया जा सकता। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए पूँजी आवश्यक है, किन्तु विरोध है पूँजीवाद का। यह पूँजीवाद वह दानव है जो अंग्रेजी शासन के साथ भारत में आया और लाखों करोड़ों ग्राम-शिल्पियों को उनके ग्रामोद्योगों से वंचित कर मशीनों और मिल उद्योगों के जरिये सारे देश में विष बुरा के समान छा गया। हमारे देश का ग्रामीण शिल्प शता-न्द्रियों से विश्व विख्यात रहा है। ढाका के किमछवाव के मलमल और बनारसी साड़ियों का क्रेज विलायत के मेमों को इतना था कि उसे रोकने के लिए कानून और राजदण्ड से काम लेना पड़ा था। एक अँगूठी के भीतर से एक यान कपड़ा अभी त्रिपुरी कांग्रेस में निकाल कर दिखाया गया था। लेकिन धीरे-धीरे यह समाप्त कर दिया गया। ग्रामीण उद्योग प्रयासपूर्वक नष्ट किए गए। उत्पादन के सभी साधनों का मिल उद्योगों में केन्द्रीयकरण किया गया तथा पूँजीवादी अधिष्ठानों का ही राजसत्ता पर अक्षुण्ण आधिपत्य हो गया। गाँव में बेकारी और भुखमरी आ गई। आज की राजनीति सुशहासी और सम्पन्नता की राजनीति है। चुनाव दिन-प्रति-दिन

होते जा रहे हैं। ग्रामीण जन लाखों करोड़ों रुपये खर्च कर इस चुनाव में पार नहीं पा सकता, परिणामतः गाँव की बुद्धि तथा नेतृत्व धीरे-धीरे समाप्त हो जावेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था शहरी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की दासानुदास हो जावेगी।

जब मैं पूंजीवादी व्यवस्था की बात करता हूँ तब मेरा आशय सामान्य व्यवसायियों से नहीं रहता। साधारणतः आम व्यवसायी तो एकाधिकारवादी पूंजीवादी व्यवस्था का उतना ही गुनाम है जितना एक सामान्य ग्रामीण जन। सामान्य व्यापारी पहले ग्रामीण उत्पादन का विपणन करते थे और अब मोनोपली मिल उद्योगों के उत्पादन की है। दोष तो राष्ट्रीय एवं बहु राष्ट्रीय केन्द्रित सर्वग्राही बृहत् पूंजीवादी मिल उद्योगों का है जिसने उत्पादन के समस्त साधनों को अपने मूट्टी में बन्दकर इस देश में ४० करोड़ कारीगरों को बेकार कर दिया है। आज गाँव की आबादी शहरों की ओर इसलिये भाग रही है कि उनके पास काम नहीं है और उनकी जमीन भी वर्तमान दूषित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत उनके हाथ से बाहर निकली जा रही है।

इन सारे सन्दर्भों में हमें सोचने व गाँव को समझने का नजरिया बदलना पड़ेगा। गाँव माल बेती ही नहीं है अपितु वह मुख्यतः ग्रामोद्योग भी है। जैसे हम केवल सीता सीता या राम राम नहीं कहते अपितु सीताराम कहते हैं उसी प्रकार हमें गाँव में बेती के साथ-साथ अनिवार्य रूप से कानूनन ग्रामोद्योग को पुनर्स्थापित करना ही पड़ेगा, बगैर उसके कोई चारा नहीं है।

विगत २० वर्षों की दुनिया के सभी देशों का कृषि पर अवलम्बित जनसंख्या के यदि हम आँकड़े निकालें तो ज्ञात होगा कि कृषि पर निर्भर करने वाली जनसंख्या इन राष्ट्रों में धीरे-धीरे कम हुई है। जहाँ ३५ प्रतिशत थी वहाँ १५ या २० प्रतिशत हो गई है। ब्रिटेन जैसे देशों में तो केवल तीन प्रतिशत है। हमारे देश में यह घटते-बढ़ते शत प्रतिशत हो गई है। यह दिवानिया एवं असहाय अर्थव्यवस्था की निशानी है। पहले हमारे गाँव में ३० से ४० प्रतिशत लोग बेती के काम में लगते थे तथा शेष ६० से ७० प्रतिशत लोग विभिन्न ग्रामोद्योग में व्यस्त रहते थे। कपड़े का काम, घुनाई, कताई, रंगाई, बुनाई, लोहारी, कुम्हारी, बढईगिरी, तेलपानी, चर्मशिल्प आदि का काम सभी गाँव में ही होता था। इनके लिये मिल उद्योग नहीं थे। मेले-टैले में शहर के व्यापारी जाते थे तथा गाँव में उत्पादित कपड़ा, तेल,

बर्तन, ओजार, फर्नीचर, कम्बल एवं ग्राम-शिल्प को शहर में ले जाकर बेचते थे, और आजन्ते शहर से लेकर तब तक शहर से गाँव में जाता है।

गाँव में आर्थिक खुशहाली जो जमीन का वैज्ञानिक आधार पर समुचित वितरण तो करना ही होगा लेकिन व्यापक और अनिवार्य रूप से गाँव में ग्रामोद्योगों का विकास करना पड़ेगा। ऐसे समस्त उद्योग जो गाँवों में विकेंद्रित रूप से चल सकते हैं उन्हें केन्द्रीभूत बड़े उद्योगों के रूप में चलाए जाने के लिये कानूनन रोक लगाना होगा। कपड़े का एक उदाहरण पर्याप्त होगा। यदि हमारी सूती मिलें तीस नम्बर से नीचे का सूत कातना बन्द कर दें तथा कानून के द्वारा नये माडल चर्खों से यह सूत अनिवार्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में ही निर्मित हो तो मात्र आज इसी उद्योग से गाँव की बेरोजगार जनसंख्या का तीस प्रतिशत रोजगार पा जावेगा। सूत की विभिन्न प्रक्रियाओं में यथा घुनाई, कताई, रंगाई, बुनाई दिपणन में सगकर उसकी बेकारी दूर होगी। वह अपने घर गाँव में ही रहकर खुशहाली का जीवन जी सकेगा तथा जमीन बेचकर शहर भागकर जाने के कारण एक दानवी व्यवस्था का गुलाम नहीं बन सकेगा। गाँव की आबादी को यदि गाँव में ही रोककर ग्रामोद्योग के जरिये काम दे दिया जाता है तो पूंजीवादी शोषण से मुक्ति मिलेगी ही और अति सभ्यता व अति नगरीकरण की परेशानी भी दूर ही सकेगी।

आज गाँव में उद्योग ही क्या हैं? माल ढोने वाली गाड़ियों का स्थान ट्रकों ने ले लिया है। तैलियों का काम आइस मिल करने लगे हैं। ढेकी को राइम मिलें घट कर गईं। आरा कसियरों का काम सा मिल करने लगे तथा जूता-घुप्पल बाटा बनाने लगे, एवं कपड़ा मिल बनाने लगे। गाँव में दस शेष रहा, घेती करना, साहूकारी करना, अफसरों की दस्ताखी करना व हाथ मूट्टी के शराब बनाना मात्र। अतः इस दृष्टि से हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सोचना पड़ेगा। घेती में सुधार व उसका बँटवारा तो हो ही, घेती की अर्थ नीति किसानों के हाथ में हो तथा ग्रामीण नेतृत्व प्रबल हो। चूँकि घेती में ३० से ४० प्रतिशत लोग ही काम पा सकते हैं, अतः शेष ६० से ७० प्रतिशत लोगों के लिये ग्रामोद्योग अनिवार्य रूप से साना होगा।

पुराने प्रार्थनावादी तरीके से एकाधिकारवादी मिलवादी व्यवस्था को हटाया नहीं जा सकेगा। वह बहुत आजमा कर देख लिया गया है।

लिये राष्ट्रव्यापी प्रबल एवं संगठित ग्राम आन्दोलन की आवश्यकता होगी, जो शासन पर दबाव डालकर उचित कानून बनवा सके। यदि कानून से जमींदार, राजे-रजवाड़े जा सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि देश की अहम समस्या के निराकरण हेतु तथा बेरोजगारी दूर करते हुए ग्रामीण खुशहाली के लिये हम एकाधिकारवादी मिलों व उद्योगों पर कानूनी नियन्त्रण व प्रतिबन्ध न लगा सके। कपड़ा सूती, ऊनी, रेशमी, सावुन (नहाने एवं धाने का), तेल व उससे बने उद्योग, कुम्हारो, लोहारी, बर्तन निर्माण, रेशे, चर्मशिल्प, बांस, जेत व काष्ठ उद्योग, अनाज, प्रसाधन, फल संरक्षण, माचिस, अगरबत्ती, धातु संरक्षण, कागज, खाण्डसरी आदि ग्रामोद्योग ग्रामीण क्षेत्र में ही हों, तथा इनके संरक्षण हेतु मिलों के उद्योगों पर कानूनी प्रतिबन्ध लगाया जावे क्योंकि ऐसे उद्योग मिलों के प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक सकेंगे। इससे बेकारी दूर होगी, गाँव जागेगा, उसकी खुशहाली बढ़ेगी। इससे अति नगरीकरण के दोष दूर होंगे तथा भारतीय ग्रामीण संस्कृति व सभ्यता का विकास होगा। ग्रामोद्योगों में पूँजी का सम्यक विभाजन होता है, इससे अपने आप समानता आती है। एकाधिकारवादी उद्योगों में पूँजी और सत्ता का केन्द्रीकरण, धम का शोषण एवं विषमता होती है।

यह आर्थिक पुनर्रचना का कार्यक्रम है। चीन गांधी जी के सिद्धान्तों को न मानते हुए भी समूचे चीन में विकेंद्रित उद्योगों व ग्रामोद्योगों के जरिये शत प्रतिशत रोजगारदारी स्थापित कर चुका है। जबकि हम गांधी का नाम लेकर बिलकुल विपरीत दिशा में चल रहे हैं। अब समय आ गया है कि ग्राम-आन्दोलन आर्थिक व्यवस्था की बुनियाद पर बेरोजगारी दूर करने हेतु ग्रामीण नेतृत्व के सहारे प्रारम्भ किया जावे। अभी तो मात्र यह है कि यह आजादी नगरी की है, वास्तव में भारत का गाँव गुलाम है, सत्ता पूँजी के महापर्व में झुका भारत का राम है।

मँहगाई एवं बेरोजगारी : एक दृष्टिकोण

पिछले कुछ वर्षों से मँहगाई का दानव निरन्तर विकराल रूप धारण करता चला जा रहा है और आज उससे देश का सम्पूर्ण मानव समाज अत्यधिक उद्वेलित एवं चिन्तित है। इसी प्रकार मँहगाई के साथ बेरोजगारी की समस्या भी जटिल से जटिलतम होती चली जा रही है। यदि समय रहते उसका सक्षम एवं सम्यक निदान नहीं किया गया तो देश और सामान्य लोगो की क्या स्थिति होगी उसकी कल्पना भी भयावह है।

मुझे एक घटना का स्मरण होता है। जब मैं सन् १९७२ में भारतीय संसदीय शिष्ट मंडल के अन्तर्गत इंग्लैण्ड की यात्रा पर गया हुआ था, उस प्रवास की अवधि में आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक भोज समारोह में मेरे पास मेरी टेबल पर आतिथेय के रूप में आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के राजनीतिशास्त्र के प्रोफेसर थे। उन्होंने चर्चा के दौरान यह चिन्ता व्यक्त की थी कि ये इंग्लैण्ड में बढ़ रहे बेरोजगारी की समस्या से अत्यधिक परेशान हैं। वहाँ उनके आँकड़ों के अनुसार उस समय करीब ६ मिलियन लोग बेरोजगार थे। उन्होंने यह भी कहा कि भारतवर्ष की समस्या तो और भी भयानक है क्योंकि वहाँ बेरोजगारी की संख्या तो करोड़ों में है और इस सम्बन्ध में उन्होंने जानकारी चाही कि महात्मा गाँधी के नेतृत्व में जिस देश ने आजादी प्राप्त किया है उस देश में आज हर वर्ग मार्गदर्शन चाहता है और भारतवर्ष इस दिशा में स्वयं क्या कर रहा है। इसी प्रकार की एक दूसरी घटना मास्को की है, जब विश्व शान्ति कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेने के लिये भारतीय प्रतिनिधि के रूप में मैं वहाँ गया था। मास्को के बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में कुछ खरीदो करने के लिए हम लोग गये थे। वहाँ पूरे स्टोर में पता लगाने पर यह बात हुआ कि नहाने का साबुन कमल

अथवा ४ प्रकार का ही उपलब्ध है। इससे ज्यादा प्रकार के साबुन का वहाँ निर्माण नहीं होता। इसी प्रकार की स्थिति कपड़ों व कास्मेटिक की बुनाई में भी बताई गई। उपभोक्ता वस्तुओं की दृष्टि से रूप में केवल आवश्यक वस्तुओं का ही उत्पादन एवं निर्माण हुआ है तथा कुछ आराम एवं वैभव की वस्तुएँ आज के समृद्धशाली तथा प्रगतिशील रूस जैसे राष्ट्र में अभी भी नहीं बनती है। यह भी एक आश्चर्य की बात मालूम हुई कि रूस में पिछले २५-३० वर्षों से भावों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। मेरे ब्याल से यह अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है।

हमारे देश में आजादी के बाद से निरन्तर विकास के लिए हर दिशा में बेतहाशा दौड़ एवं होड़ प्रारम्भ हो गई। उसमें बहुत सी ऐसी बातें, जो इस देश की वास्तविक उन्नति के लिए आवश्यक थी, रह गईं और हम प्राथमिकता के क्रम में काफी पिछड़ भी गये। विकास के कार्यों में बेतहाशा पैसा लगा। निर्माण के असह्य-कार्य प्रारम्भ हुए जिसमें अफरा-तफरी वाली बातों को यदि नजर अन्दाज भी कर दिया जाय तो भी अरबों-खरबों रुपया लोगों के पास तथा बाजार में आ गया है। चूँकि यह रुपया सही हिसाब का नहीं था इसलिये उसका उपयोग भी उस दृष्टि से नहीं किया जा सका। समाज के कुछ वर्ग के हाथों में, जिनमें नेता, अफसर और व्यापारी सम्मिलित हैं, रुपया ज्यादा आ जाने के कारण बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं की माँग विशेष रूप से बढ़ गई तथा यहाँ के उद्योगपति एवं नव-कुबेर विभिन्न प्रकार के वैभव विलास एवं उपभोक्ता वस्तुओं के अच्छे से अच्छे किस्मों के उत्पादन के कार्यों में अपनी पूँजी का विनियोजन करने लगे। आज भारतवर्ष में टैरीफिन और टैरीफाट के कपड़ों के ही एक हजार से भी ज्यादा किस्म के वस्त्र बनाए जाते हैं तथा यही स्थिति ऊनी और सूती तथा रेशमी कपड़ों के संबंध में है। उसी प्रकार से अपने देश में नहाने के साबुन की स्थिति है। यदि कुल मिलाकर गणना की जाय तो उसकी हजारों नहीं तो सैकड़ों किस्में जरूर निकलेंगी। अन्य कास्मेटिक पदार्थ तथा बिजली के बने घरेलू उद्योग के सामान टेलीफोन, फ्रीज आदि इसी प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन बिना किसी हिवक के तथा बिना किमी रोकटोक के हो रहे हैं और इस कार्य में देश की अरबों-खरबों की पूँजी लगी हुई है। बँक भी ऐसे कार्यों को वित्तीय सहायता देता है तथा मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस प्रकार के उद्योग में ज्यादातर काला धन ही लगा हुआ है। इस देश में जहाँ ४० करोड़ से भी ज्यादा लोग एक

वक्त का खाना जुटा न पाते हों तथा जहाँ इतनी बड़ी विघात जनसंख्या गरीबी की जीवन रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने को विवश हो रही हो वहाँ किसी रूप में उपभोक्ता संस्कृति को प्रथय देना, कुछ फैशन की वस्तुओं के बहशियाना उत्पादन करना देश को अर्थव्यवस्था को बोलसिल बनाता है तथा अनुत्पादक कार्यों में पूंजी के विनियोजन के कारण मंहगाई को बढ़ावा देता है। आज आवश्यकता है एक साहसिक निर्णय की। यह निर्णय लिया जाना अत्यन्त आवश्यक है कि पहिने के कपड़ों में अधिक से अधिक १० प्रकार के ही कपड़ों का उत्पादन किया जाय जिनमें सभी प्रकार के कपड़े सम्मिलित हों। उसी प्रकार से प्रसाधन आदि के उपकरणों के निर्माण में भी कठोरतापूर्वक अनुशासन साने की आवश्यकता है। नहाने के साबुन के २-३ प्रकार से ही काम चल सकता है। देश जब तक गरीबी की सीमा से ऊपर नहीं उठ जाता है तब तक २-३ प्रकार के साबुन के प्रयोग करने से किसी का दम नहीं घुटेगा और न प्राणान्त ही होगा।

बाजार में आज के इस बेतहाशा उपभोक्ता वस्तुओं की भीड़ में यदि अंकुश लगाया जाय तो निश्चित रूप से आम जनता की जखरत के लिये लगने वाली वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होगी और इस प्रकार की वस्तुएँ बाजार में ज्यादा तादाद में आना शुरू होगी जिससे निश्चित रूप से मंहगाई पर रोक लगेगी। साथ ही जिनके पास प्रचुर मात्रा में आराम से कमाई हुई सम्पत्ति है उसका उपयोग वे उपभोक्ता की संस्कृति वाली वस्तुओं में नहीं कर सकेंगे और न ऐसे वस्तुओं के उत्पादन में वे पूंजी लगा सकेंगे, न ही उन्हे अपने भोग-विलास बढ़ाने की दृष्टि से ही उपयोग कर सकेंगे। मंहगाई रोकने के लिये मेरी दृष्टि में आवश्यक है कि अनुत्पादक फैशन की वस्तुओं के उत्पादन पर कानूनी रोक लगायी जाय। इससे आज के मंहगाई के बाजार में तत्काल प्रभाव पड़ेगा। इससे कपड़ों की तथा फैशन की दुकानें जनता की आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के रूप में परिणत हो जायेगी।

इसके बाद तत्काल आवश्यकता इस बात की है कि देश में लोहा, इस्पात, बिजली तथा इसी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर जन-सामान्य की आवश्यकताओं से संबधित वस्तुओं के उत्पादन के बड़े कारखानों पर तत्काल कानूनी रोक लगायी जाय। आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है कि हम ४० करोड़ लोगों को किस प्रकार और कैसे काम दें। दफ्तर और कारखानों में सबको घपाना मुश्किल हो नही तो असंभव भी है।

जो भी नये कारखाने खुलते हैं वे लाखों की रोजी रोटी समाप्त कर कुछ चंद लोगों को ही काम दे पाते हैं। गांधी जी ने देश के सामने खादी व ग्रामोद्योग का रास्ता बताया था लेकिन आज हम उसे बिल्कुल भूल बैठे हैं। आज देश के भीतर खादी एवं ग्रामोद्योग भण्डार माल सरकारी खरीद के सहारे ही चल रहे हैं। ऐसा कौन सा वाद है, यह कौन सी शासन प्रणाली है अथवा ऐसी वह कौन सी आर्थिक व्यवस्था है जिसके तहत सम्पूर्ण देश में काश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले हुए गाँव के लगभग ६० करोड़ लोगों को रोजी-रोटी का सहारा दिया जा सके। चीन जो सैद्धान्तिक रूप से गांधीवाद का विरोधी है तथा अपने को विश्व का एकमात्र साम्यवादी देश घोषित करता है, उसने चीन में शत-प्रतिशत रोजगार देने का सक्त्प किया हुआ है। यह शत-प्रतिशत रोजगार वहाँ किस प्रकार से मुहैया कराया जाता है उसकी जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात होगा कि चीन ने प्रकारान्तर से गांधीवाद का ही प्रथम लिया है और वहाँ ग्रामीण सेक्टर में बड़े पैमाने पर कुटीर एवं ग्रामोद्योग चलाये जा रहे हैं। हम जो गांधी के देश के हैं और जो गांधी के नाम के बगैर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते आज गांधी को मान आदर्श की वस्तु बनाये हुए हैं। हमारे देश में अंग्रेजों के जाने के पहिले गाँव में अच्छे से अच्छे कपड़े बनते थे तथा ग्राम शिल्प एवं हस्त शिल्प के सुन्दर से सुन्दर कारीगरों की आकर्षक वस्तुएँ निर्मित होती थी, जिन्हे शहर के ध्यापारी मेला-ठेला में खरीदकर उसके आधार पर अपना वाणिज्य व्यापार करते थे तथा विदेशों में भी उन वस्तुओं का निर्यात होता था। भारतवर्ष के बने मलमल के कपड़े इंग्लैंड की सुन्दरियाँ बड़े चाव से खरीदती एवं पहिनती थी तथा उस पर रोक लगाने के लिए तत्कालीन इंग्लैंड की सरकार को कानूनी प्रावधान भी करना पड़ा था। ढाका के मलमल एवं किमूबाव की साड़ियाँ बड़ी प्रख्यात थी। गाँव अपने आप में स्वावलम्बी थे तथा उस पुराने युग में, जबकि आज जैसी नहर आदि की प्रचुरता नहीं थी तब भी २-३ वर्ष तक अकाल पड़ते रहने के बावजूद गाँव अपने आप में उस शोध को संभाल लेता था तथा लाखों की संख्या में लोगों का आज जैसा पलायन नहीं होता था। इसका एक कारण यह है कि पिछले जमाने में बड़ी राइस मिलों या विभिन्न प्रकार के अनाज की प्रोसेसिंग मिलें न होने के कारण तथा संचार के साधनों की कमी होने की वजह से गाँव का अनाज गाँव में बाहर बहुत कम जा पाता था और उस समय का किसान भी पुरुरत पड़ने पर अनाज बेचने के कारण अनाज का स्टॉक रखता था। इसलिये

अकाल आदि की स्थिति में स्टॉक में रखे हुए अनाज के कारण गाँव में लोग भूखों नहीं मरते थे । आज तो फसल आते ही किसान उस वर्ष के उत्पादन का सारा अनाज बड़े मिला एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जाकर दे देता है और इसलिये एक साल के अकाल से ही गाँव की कमर टूट जाती है । पहिले ग्रामोद्योगों का भरमार रहता था इसलिये खेती में काम न होने के बाद भी गाँव के लोग बेकार नहीं होते थे । कपड़ा बुनाई की विभिन्न प्रकियाओं में लोग लगे रहते थे, चुनकर कपड़ा बनाता था, सूत कातने वाले सूत कातते थे, रंगरेज रंगाई करता था और बाजार करने वाले उन्हें बाजार में ले जाते थे । उसी प्रकार से लोहार लोहारों का काम करता था, बड़ई बड़ईगिरी करता था, गाढ़ी वाले माल ढोने का काम करते थे, कुम्हार घड़े बनाने का काम करता था । तात्पर्य यह कि हर व्यक्ति काम में लगा रहता था । इसके लिये अलग से निश्चित कार्य छोले जाने की इतनी आवश्यकता नहीं रहती थी । आज तो एक साल भी अकाल पड़ जाय तो करोड़ों और अरबों के राहत कार्य प्रारम्भ होते हैं और बाद में उन राहत कार्यों में घपले होने के आरोपों के फलस्वरूप उनकी जाँच भी होती है । कागजों पर सड़क बन जाती हैं और मौके पर देखने पर वही सड़क कही रहती नहीं । मेरा तो यह सुझाव है कि राहत कार्यों में लगने वाली यदि पूरी नहीं तो आधी राशि ही गाँव में सीधे ग्रामोद्योग प्रारम्भ करने में लगाई जाय तो उससे स्थाई रूप से राहत का कार्य होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग अपने पैरों पर स्वयं खड़े होंगे ।

लेकिन आज के युग में मिला के मुकाबले में बड़े पैमाने पर ग्रामोद्योगों को शुरू कर देना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि इस अवधि में जन-मानस का संस्कार और लोगों की आदत को हम लोगों ने पर्याप्त रूप से ग्रामित कर दिया है । इसलिये इस सम्बन्ध में कानून का सहारा लेना अत्यन्त आवश्यक होगा । जिस प्रकार से कानून बनाकर राजाओं और महाराजाओं को निरस्त किया गया, जमींदारी हम लोगों ने सी, मानगुजारी समाप्त की, प्रिव्ही पर्स घतम किया, बैङ्कों का राष्ट्रीयकरण किया, उसी प्रकार अब वक्त आ गया है कि एक क्रान्तिकारी निर्णय अब इस सम्बन्ध में भी लिया जाय । वह क्रान्तिकारी निर्णय इस प्रकार का होगा कि कतिपय राष्ट्रीय हित में आवश्यक बड़े उद्योगों को छोड़कर सारे बड़े कारखानों और मिला पर रोक लगाना होगा जो सामान्य जनता के हित के लिये हर प्रकार से उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तथा साथ ही साथ दूसरा कानून बनाकर यह प्रावधान करना

होगा कि इस प्रकार के तमाम उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण विकेंद्रित रूप में ग्रामीण स्तर पर ग्रामोद्योगों के माध्यम से ही हो। सावुन, तेल, प्रसाधन के उपकरण, जूता, चप्पल, बर्तन, औजार आदि सारी वस्तुएँ कारखानों और मिलों में न बनकर ग्रामोद्योगों के माध्यम से ही बनाएँ जायें। मैंने गणित का हिसाब लगाकर देखा है कि अकेले सूती कपड़े के उत्पादन के कार्य में लगभग २० करोड़ लोग कार्य से लग जायेंगे तथा उनको रोजगार प्राप्त होगा तथा दूसरे अन्य असंख्य उद्योग मजदूरी के स्तर पर प्रारम्भ हो जायेंगे। इससे जो आज पूँजी का केन्द्रीयकरण हो गया है तथा आज भारतवर्ष की पूँजी की समस्त धरोहर केवल १२ खानदानों में सिमट गई है उसका बिखराव गाँव और सामान्य जनो में करोड़ों लोगों में होगा। पूँजी के मान से जब ग्रामोद्योग बढ़ेंगे तथा आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का ही निर्माण होगा तब मंहगाई अपने आप समाप्त हो जायगी। वस्तुतः आज की मंहगाई के पीछे और चाहे जो भी कारण हो लेकिन इस मंहगाई की अर्थव्यवस्था के पीछे पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का भी कुटिल जाल फैला हुआ है। मिलों में जो वस्तुएँ उत्पादित होती हैं उनके लागत मूल्यों के मान से बाजार में जो वस्तुएँ आती हैं वे तीन गुना ज्यादा होती हैं तथा उस पर कभी-कभी साधारण राहत पहुँचाने की कार्यवाही तो की जा सकती है लेकिन जड़मूल से उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। वर्तमान प्रजातान्त्रिक राजनैतिक व्यवस्था में चुनाव आदि के मामलों में इन पूँजीवादियों को उनके छोटे से अहसान की कीमत पर राष्ट्र को बहुत बड़ा मूल्य चुकाने के लिये विवश होना पड़ता है। इन सब की एक बारगी समाप्ति केन्द्रित पूँजीवादी उद्योग के मुकाबले में अनिवार्य ग्रामोद्योग स्थापित करने में ही है। यदि इस माध्यम से हम देश के कम से कम ४० करोड़ लोगों को काम दे सकें तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। गाँधीजी क्रान्ति-दर्शी, दूरदर्शी थे। उन्हें भारत के नब्ज की सही पकड़ थी और इसलिये उन्होंने खादी और चरखा को प्रतीक के रूप में चलाया था। आज भी हमारे सामने इसके सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं है। भले ही आज हम यह निर्णय न लें लेकिन जब हालत और भी ज्यादा बदतर हो जायगी तथा समस्या गम्भीर रूप में चुनौती के रूप में हमारे समक्ष खड़ी होगी तब विवश होकर हमें इसी रास्ते पर ही जाना होगा। समाजवाद का भी वस्तुतः यही विकल्प प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत है।

वर्तमान स्थिति में २-३ बातों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता

है। पहिला तो यह कि इनकम टैक्स की व्यवस्था के अलावा एक्सपेंडिचर टैक्स की व्यवस्था प्रारम्भ की जानी चाहिये जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना परिवार को अपने खर्च का हिसाब देना पड़ेगा और उसकी सीमा से ज्यादा खर्च और वह भी पास तीर पर अनुत्पादक वस्तुओं पर किये गये खर्च पर भारी टैक्स लगाना चाहिये। इस देश में जहाँ एक तरफ बहुत से लोग भूखे और नंगे हैं वही दूसरी ओर ऐसे बहुत बड़ी तादाद में नव धनाढ्य और नव कुवेर हैं जिनके सामने यह समस्या है कि वे अपने पैसे को कैसे खर्च करें। ये लोग अनाप-धनाप पैसे खर्च करते हैं तथा यही लोग समाज के आतावरण को धनैतिक एवं दूषित करते हैं। इसलिये इन सबको उनके खर्च का हिसाब देना लाजमी बनाया जाय, सीमा से ज्यादा खर्च हो जाने पर उन पर भारी करा-रोपण किया जाय।

9581

16.5.8

इसी के साथ नौकरी के सम्बन्ध में भी एक सैद्धान्तिक निर्णय लिया जाना आवश्यक है। आज ऐसा देखने में आता है कि एक ओर जहाँ बड़ी संख्या में ज्यादा तादाद में लोगों के परिवार के लोग नौकरी से वंचित रहते हैं वही दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जिनके परिवार में प्रत्येक आदमी नौकरी में लगा हुआ होता है। साहब अफसर है तो बीबी कहीं पढ़ाती है, बेटा कहीं काम करता है, बहू भी नौकरी करती है और बेटियों को भी कुछ काम मिल जाता है। ये इस प्रकार के लोग होते हैं जो सत्ता, शक्ति तथा सम्पत्ति किसी न किसी रूप में अर्जित कर लेते हैं और इस प्रकार की नौकरी का अपने परिवार में केन्द्रीकरण कर लेते हैं। ऐसे नियम बनाना चाहिये कि जब तक बहुसंख्यक समाज के प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी न मिल जाय तब तक एक परिवार में एक से अधिक व्यक्ति को नौकरी न दी जाय। इस नियम को कठोरता से पालन करने पर ही बेरोजगारी के समाधान में सहायता मिलेगी।

इस सन्दर्भ में हमें अपने देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर भी विचार करना होगा। पिछली जन-गणना के समय हमारे देश की जनसंख्या मात्र ४५ करोड़ थी तथा १९८१ की जनगणना में आज हम लोग ७० करोड़ हो गये और अगर यही हालत रही तो आगामी वर्षों में एक अरब के आस-पास भी हमारी जनसंख्या हो जायगी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अब तो जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि हमें छोटे शहरों में सड़क पर साधारण रूप से चल पाना

मुश्किल है। हर जगह सम्बन्धी लाइन लगती है, नौकरी के लिये, दरखास्त देने के लिये लम्बी लाइन, ट्रेन या बस में जाँय तो लम्बी लाइन, बीमार पड़ जाँय तो अस्पताल में वहाँ लम्बी लाइन एवं चम्बई और कलकत्ता में तो यह स्थिति है कि यदि कोई मर जाय तो मुर्दा जलाने के लिये वहाँ पर सम्बन्धी लाइन लगानी पड़ती है। अगर इस बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक न लगाया गया तो हर योजना अपने आपमें बेकार सिद्ध हो जायगी। मेरे रुयाल से वैसे परिवार नियोजन के माध्यम से इस दिशा में कुछ कार्य हो रहा है लेकिन उसकी गति धीमी है। इस सम्बन्ध में भले ही लोगों को अप्रिय लगे कानून का आश्रय लेना आवश्यक है तथा यह निर्धारित करना होगा कि २ बच्चे के बाद ज्यादा पैदायश होने पर सम्बन्धित व्यक्ति को दण्डित किया जाय। वैसे तो मँहगाई और बेरोजगारी की समस्या के सम्बन्ध में और अनेक बातें प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण हैं लेकिन उन सबका समायोजन यहाँ सम्भव नहीं है, किन्तु उपर्युक्त विचार बिन्दुओं पर ध्यान देकर योजनामूलक कार्य करना आवश्यक है।

लोकतन्त्र : कुछ प्रश्न और चुनौतियाँ

२

प्रजातन्त्र में संसद एवं विधान सभाओं का सर्वोपरि महत्व होता है। इंग्लैण्ड के हाउस आफ कामन्स के सम्बन्ध में वहाँ एक उक्ति प्रचलित है कि संसद पुष्प को औरत बना सकने के सिवाय बाकी सब कुछ कर सकती है। संसद एवं विधान सभाओं का प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली में इतना महत्व होता है कि उसके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि प्रजातन्त्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसका संचालन संसद की चर्चाओं के माध्यम से होती है, तथापि अब राजनीतिक चिन्तकों के समक्ष यह विचार अत्यन्त ज्वलन्त रूप से उपस्थित है कि संसद तथा विधान सभाओं का स्वरूप किस प्रकार का हो, उनकी भूमिका क्या हो तथा सांसदों एवं विधायकों का क्या कर्तव्य और उत्तरदायित्व होना चाहिए। भारतीय गणतन्त्र की रजत जयन्ती हम मना चुके हैं तब यह प्रश्न और भी प्रासंगिक है। यह भी देखना आवश्यक होगा कि संसद तथा विधान सभाओं से क्या वस्तुतः लोक आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं की पूर्ति हो रही है एवं प्रजातन्त्र की शासन प्रणाली को जिस सक्षम एवं प्रभाव-शाली ढंग से कार्यरत होना चाहिए क्या उस हेतु विधान सभाएँ महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। क्या उनके कार्यों और स्वरूपों का पुनर्मुल्यांकन एवं निर्धारण किया जा सकता है ?

भारतवर्ष ने प्रजातान्त्रिक मार्ग अपनाया है तथा आज विश्व में भारतवर्ष संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातान्त्रिक देश है। सन् १९४७ के उपरान्त अभी तक प्रजातन्त्र की व्यवस्था का इतना सुसंगठित, सुनियोजित एवं मुष्किल रूप में संचालित कोई दूसरा उदाहरण विश्व में अन्यत्र नहीं है। किन्तु इसके उपरान्त पुनरुच प्रश्नचिह्न जनमानस के समक्ष उभर कर

सामने आता है कि क्या यथास्थिति समाधानकारक है तथा प्रजातन्त्र की उत्कृष्ट एव उत्तम व्यवस्था भारतवर्ष में विद्यमान है ? हमारे विधायक एवं सांसद सही दिशा में अपनी भूमिका निभा रहे हैं ? इस सम्बन्ध में सबसे पहले मेरे मन में विचार सन् १९६७ में, जब मैं पहली बार विधान सभा का सदस्य हुआ था, उत्पन्न हुआ। मेरे मन में स्वामाविक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि विधायकों के कार्य दायित्व एवं अधिकारों के सम्बन्ध में क्या कोई नियम बने हुए हैं अथवा किसी विधि विधान के अन्तर्गत उनका कोई प्रावधान है ? बहुत पता लगाने के बाद भी इस सम्बन्ध की कोई जानकारी मुझे उपलब्ध नहीं हुई सिवाय इसके कि विधान सभा की कार्यवाही को संचालित करने के लिये मध्यप्रदेश की विधान सभा की प्रक्रिया से सम्बन्धित नियम अवश्य देखने को मिले। इसके अनुसार विधान सभा की कार्यवाही का संचालन एवं नियमन होता है। यद्यपि प्रत्यक्ष जीवन में सर्वत्र विधायकों की अहम् भूमिका परिलक्षित होती है तथा बगैर विधायकों की सम्मति एवं परामर्श के कोई भी काम किसी भी विभाग में आसान प्रतीत नहीं होता, तथापि आये दिन इस प्रकार की शिकायतें मिलती हैं कि विधायकों के हस्तक्षेप से प्रशासन के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है तथा अनेक प्रकार की प्रशासनिक गलतियों के लिए भी कभी इस पक्ष के और कभी उस पक्ष के लोगों के द्वारा सामान्य तौर पर विधायकों एव सांसदों पर ही आरोप लगाये जाते हैं। प्रश्न यह है कि क्या वस्तुतः ऐसा होता है और यदि होता है तो विधायकों अथवा सांसदों को इस प्रकार के अधिकार उपलब्ध हैं या सहज विधान सभा के अथवा संसद के सदस्य होने के नाते वह अधोपित एवं अलिखित अधिकारों के अन्तर्गत प्रशासन की कार्यवाहियों में सीधे हस्तक्षेप करते हैं ? इस परम्परा को बनाये रखने हेतु (यदि बनाये रखा है तो) उसकी क्या सीमा हो और यदि नहीं तो उसका क्या विकल्प हो सकता है ? ये सब ऐसे प्रश्न हैं, जो प्रजातन्त्र के जीवन और उसके अस्तित्व के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। इन सब का सही निराकरण ही प्रजातन्त्र के उत्कृष्ट स्वरूप का निराकरण हो सकता है।

यह सर्वे विदित तथ्य है एवं उसकी सत्यता से आँख नहीं मूंदी जा सकती कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत विधायिका का सर्वोपरि महत्त्व एवं स्थान होना चाहिए। विधान निर्माण के अतिरिक्त नियमों एवं अधिनियमों के अन्तर्गत उनका कार्यान्वयन एवं परिपालन किस रूप में किया जा रहा है एवं

प्रशासनिक अधिकारी अपने कर्तव्य और अधिकारों के अन्तर्गत अपेक्षित दायित्व का निर्वाह किस रूप में कर रहे हैं, इस हेतु उनका निरीक्षण एवं नियन्त्रण का भी दायित्व इन विधायिकाओं का होता है। इस हेतु सर्वप्रथम इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि हमारी विधान सभाएँ आज किस रूप में और किस सीमा तक इन कार्यों को पूरा कर पा रही हैं? ब्रिटिश पार्लियामेंट को सभी संसदों की जननी कहा जाता है और भारतवर्ष में ब्रिटिश पार्लियामेंट की परम्परा का अनुकरण भी किया जा रहा है। विधान सभा की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में आज भी हाउस आफ कॉमन्स में दिये गये निर्णयों को न केवल दृष्टान्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है वरन् उसको सर्वाधिक मान्यता भी दी जाती है। ऐसी स्थिति में देखा जाना अत्यन्त आवश्यक है कि क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट की अन्य व्यवस्थाओं का हम पालन कर रहे हैं? संसद-सम्बन्ध में तो अभी मैं कुछ न कहना चाहूँगा किन्तु विधान सभाओं के बारे में पहला प्रश्न उठता है कि जब प्रशासन का संचालन व नियमन विधान सभाओं के माध्यम से ही होना है, तो विधान सभाओं की बैठकें क्या इतनी-होती-हैं जिससे उपरोक्त कार्य को सही तौर पर किया जा सके? इन दिनों में जब विचार किया जाता है तब मन में एक भावना निश्चित रूप से उत्पन्न होती है कि सम्भवतः हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। यदि पिछले १५ वर्षों के आँकड़ों को उठाकर देखें तो यह ज्ञात होगा कि वर्ष में विधान सभा की कुल अधिक से अधिक ५० बैठकें की जाती होंगी। इन ५० बैठकों में बजट पारित करने से लेकर सामान्य चर्चा एवं कानून बनाने तक का कार्य सभी कुछ होता है। अनेकों बार जब बजट पारित होते हैं तब यह एक आम बात-सी हो गई है कि अनेक महत्वपूर्ण विभागों के बजट जो करोड़ों और अरबों के होते हैं विधान सभा में चर्चा के लिये भी नहीं रखे जा पाते और उन्हें गुलेटिन कर दिया जाता है और बहुत से विभागों की माँगें 'हाँ' और 'ना' के उत्तर में ही सिमटकर रह जाती हैं। क्या इसे समुचित व्यवस्था कहा जा सकता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट में लगभग साल के ३६० दिन में ढाई सौ या तीन सौ से कम बैठकें नहीं होती। जन-जीवन से तथा प्रशासन से सम्बन्धित कोई भी प्रश्न चाहे वह छोटा ही क्यों न हो पार्लियामेंट में न केवल उठाया जाता है, वरन् उस पर गम्भीर चर्चा होती है और उसे महत्व दिया जाता है। प्रजातन्त्र की जागरूकता की यह सबसे बड़ी निशानी भी है। इसलिये सबसे पहली बात तो यह होनी चाहिए कि हमारी इन विधान सभाओं की बैठकें भी अगर साल

में पूरे दिन नहीं तो कम से कम २०० दिन जरूर हों। जब ज्यादा बैठकें होंगी तो किसी भी विषय पर विचार से और गहराइयों में आकर विचार किया जा सकेगा। प्रशासन के हर पहलू पर चर्चा होने से मार्गदर्शन का सही कार्य होगा और इस माध्यम से निश्चित रूप से प्रशासन के कार्यकलापों पर अकुश एवं नियन्त्रण होगा। सम्भवतः आज यह कड़ी लुप्त है। इसके कारण यद्यपि व्यक्तिगत रूप से विधायकों और सासदों का महत्व बढ़ा है लेकिन सामूहिक रूप से विधान सभाओं एवं संसद का समाज एवं प्रशासन व्यवस्था पर प्रभाव शिथिल हुआ है।

॥ इस संदर्भ में एक प्रसंग का उल्लेख समीचीन होगा। जून १९७२ में कामनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसिएशन की इंग्लैंड शाखा की ओर से दिये गये निमन्त्रण पर भारतीय संगदीप शिष्ट मण्डल इंग्लैंड की यात्रा पर गया था तथा उसने लगभग १ माह इंग्लैंड के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा की। इस शिष्ट मण्डल में मध्यप्रदेश की विधान सभा का प्रतिनिधित्व करने का शौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। मनी विधान सभाओं में से कुल ५ राज्यों की विधान सभाओं के प्रतिनिधि गये थे। इस शिष्ट मण्डल का अधिकांश समय ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस में ही रहा जो कार्यवाहियाँ देखने-समझने तथा पार्लियामेंट के ब्रिटिश सदस्यों से चर्चा करने में ही व्यतीत हुआ। उस अवसर पर बहुत निरुत्साह से देखने पर यह ज्ञात हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में सदन के सदस्य कार्यवाहियों के हेतु अत्यधिक जागरूक एवं सतर्क रहते हैं। हमारे समक्ष एक-दूसरे-ऐसा आधा तब संचार मंत्री को इस कारण बहुत कठिन समय से गुजरना पड़ा क्योंकि यहाँ भोजगामी डाक, पोस्ट करने के दूसरे दिन अपने गन्तव्य पर नहीं पहुँचा और एक दिन बाद ही वह प्राप्त करने वाले को मिला। इस विषय पर लोडी इन्डियन गवर्नर आरोप प्रत्यारोप हुए। इस प्रकार का अवसर, भारतवर्ष के विधान सभाओं में अथवा संसद में बहुत कम ही देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ बड़ी-बड़ी समस्याओं तथा गम्भीर विषयों पर भी चर्चा करने के लिये समय जब उपलब्ध नहीं रहता तो प्रशासन को सामान्य और छोटी कठिनाइयों पर चर्चा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मध्य प्रदेश की विधान सभा में ऐसे कई-कई वर्ष निकल जाते हैं जबकि राज्य परिवहन निगम, म० प्र० विद्युत मंडल, लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म० प्र० ग्रह मंडल एवं इसी प्रकार के अनेक अन्य निगमों आदि की रिपोर्ट पर चर्चा

तक नहीं होती और उन्हें पटल पर रख दिया जाता है। जब कि इन पर विस्तार में जाकर उनके समस्त बिन्दुओं तथा पहलुओं पर गम्भीर चर्चा होनी चाहिए तथा विधान सभा के निर्देशों के अनुसार उन मण्डलों तथा तिगमों का भावी कार्यक्रम निर्धारित होना चाहिए। विधान सभा का जब तक यह स्वरूप नहीं होगा तब तक इन विधायिकाओं से संविधान की एवं जन-सामान्य की जो आकांक्षाएँ हैं वे कदापि पूरी नहीं होंगी।

जिस समय हम सोग इंग्लैंड में थे उस समय वहाँ की पार्लियामेंट में एक अत्यन्त विवादास्पद बिल प्रस्तुत था। यह बिल यूरोपीय साम्राज्य बाजार से संबंधित था। इस बिल को लेकर वहाँ के संसद सदस्य अत्यधिक उत्तेजित थे तथा उम विषय पर पक्ष एवं विपक्ष में अपनी राय जाहिर करते थे तथा हमें सोगों की राय भी वे जानना चाहते थे। एक सबसे बड़े आश्चर्य की बात जो देखने में आई वह यह थी कि एक ही पार्टी के संसद सदस्य परस्पर-विरोधी राय जाहिर कर रहे थे। पूछने पर मुझे बताया गया कि इस विषय पर वहाँ की सभी पार्टियों ने पार्टी व्हिप की प्रथा को शिथिल कर दिया है तथा व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक सदस्य इस बिल के पक्ष में या विपक्ष में मतदान करने के लिये स्वतंत्र था। यह स्थिति भारतवर्ष की विधायिकाओं में संभवतः उदाहरण के लिये भी कभी उत्पन्न नहीं होगी, जबकि अनेक ऐसे विषय होते हैं जिनसे शासन के अस्तित्व का सीधा संबंध नहीं होता एवं जनहित की दृष्टि से उन पर मुक्त चर्चा आवश्यक हो जाती है। इन पर यदि व्हिप के अनुशासन को उदाहरण के बतौर भी शिथिल कर दिया जाय तो, मेरा क्याल है कि उसका परिणाम भारतीय प्रजातंत्र की दृष्टि से कोई बुरा नहीं होगा। कई बार ऐसा देखने में आता है कि अनेक बिल व्हिप की व्यवस्था के कारण कानून ही बन जाते हैं लेकिन उसके पीछे सही भावना न होने के कारण उसके कार्यान्वयन में शिथिलता बनी रहती है और ऐसे कानून मात्र पुस्तकालयों की घोभा बढ़ाते हैं। भिशावृत्ति उन्मूलन अधिनियम, दहेज-प्रथा उन्मूलन अधिनियम तथा हरिजन आदिवासियों को दिये जा रहे संरक्षण के संबंध में अनेक अधिनियम इसके जोबन्त उदाहरण के रूप में हमारे समक्ष हैं।

विधायिकाओं का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं प्रभावी ढंग से कार्य करने का माध्यम विभिन्न समितियाँ हैं। पूरी संसद अथवा विधानसभा में एक साथ सभी सदस्य सभी विषयों पर न तो चर्चा कर पाते हैं और न अपनी सम्मति

ही दे सकते हैं। साथ ही विधान सभाओं का माहौल भी अलग प्रकार का होता है जिममें किसी विषय को मूर्खता से वैज्ञानिक धरातल पर विवेचन कर सकने की संभावना एवं उसके अनुकूल वातावरण में ही नहीं रहता। अधिकतम कार्य उत्तेजनायुक्त राजनैतिक वातावरण में करना पड़ता है इसलिए कार्यकारी रूप में प्रभावशाली और शक्तिशाली ढंग से कमेटियाँ ही अच्छा उपयोगी कार्य कर सकती हैं क्योंकि कम लोग होते हैं, संतोषपूर्ण एवं सद्भावना के वातावरण में वहाँ चर्चा हो सकती है तथा परस्पर पक्षपात, राग-द्वेष की भावना भी कमेटियों में नहीं होती। हर विषय पर विस्तार से कण्ठिका-वार परखा जा सकता है तथा उस पर विचार-विमर्श किया जा सकता है तथा शोधपूर्ण प्रतिवेदन इन कमेटियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। उसी प्रकार शासन की नीतियों का आकलन तथा विभिन्न विभागों के द्वारा किये गये व्यय का परीक्षण आदि भी ऐसी कमेटियों के माध्यम से अच्छे ढंग से हो सकता है। जैसे तो लोक सेवा समिति, प्राक्कलन समिति एवं जन उपक्रम समिति आदि विधान सभा के अन्तर्गत गठित होती ही हैं तथापि इनके अतिरिक्त और भी समितियाँ जो सामान्य जन-जीवन से संबंधित हैं, विधान सभा के माध्यम से गठित की जानी चाहिए और इन समितियों को अपने विषय के परीक्षण एवं अध्ययन हेतु पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने तथा गलत कार्य परिलक्षित होने की स्थिति में इन्हीं कमेटियों के माध्यम से विधान सभाओं को प्रतिवेदन मिलने पर समुचित कार्यवाही करने का अधिकार दिया जा सकता है। जैसे तो भारतवर्ष में कमेटियों के द्वारा कार्य किये जाने की पद्धति का विकास सही ढंग पर ही हुआ है लेकिन इनका परिष्कार एवं विस्तार भी अत्यंत आवश्यक है। मेरा तो यह भी सुझाव है कि शासन के विभिन्न विभागों के लिये विभाग के मंत्री की अध्यक्षता में विधान सभा सदस्यों अथवा संसद सदस्यों की विभागीय समितियाँ बनाई जानी चाहिए और ये विभागीय समितियाँ कम से कम माह में एक बार अवश्य मिलें और उस विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा करें तथा उनका प्रतिवेदन विधान सभा में रखा जावे, साथ ही महत्वपूर्ण घटनाओं की जाँच का कार्य भी विधायकों को दिया जाना उचित होगा। यदि ज्यादा समय तक विधान सभा की बैठकें चलती हैं तथा उपरोक्त पद्धति से विधायकों का कार्य संचालित किया जाता है तो निश्चित रूप से शासन की कार्यपालिका तथा उसके विभागों में कार्यक्रमाप एवं उसके द्वारा किये जाने वाले व्यय पर

अंकुश लगेगा और इसके माध्यम से विधायकों का अपेक्षित नियन्त्रण एवं निरीक्षण कार्यपालिका पर स्थापित होगा। साथ ही व्यक्तगत रूप से संसद सदस्यों या विधायकों द्वारा प्रशासन में उचित या अनुचित हस्तक्षेप किये जाने की जो निरन्तर शिकायतें मुन्ने में आती हैं उनमें भी पर्याप्त कमी आएगी।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि सांसदों तथा विधायकों के हेतु उनकी भूमिका, कर्तव्य एवं अधिकारों के लिए कोई सिद्धित व्यवस्था देखने में नहीं आई है तथापि मार्गदर्शन के रूप में संसद तथा विधान सभा से पारित किये जाकर यदि किसी प्रकार की आचरण संहिता का निर्माण किया जाता है तो मार्गदर्शन सिद्धान्त के रूप में उसका स्वागत किया जाना चाहिए। नीति निर्धारण का कार्य विधान सभाओं के अनुमोदन से शासन को करना चाहिए तथा नीति का क्रियान्वयन सही हो रहा है अथवा नहीं इसका निरीक्षण विधान सभा की विभिन्न समितियों को करना चाहिए। इस संबंध में व्यक्तिगत स्तर पर हस्तक्षेप करने के अधिकार को प्रथम देना सर्वथा अनुचित होगा। यदि कोई विधायक अथवा सांसद अपने क्षेत्र के संबंध में अथवा किसी कर्मचारी या अधिकारी के वाञ्छित अथवा अवाञ्छित होने के संबंध में कोई मुद्दा देना चाहता है तो वह मुद्दा कार्यपालिका को न देकर उसे विभाग के मंत्री को ही देना उचित होगा और इसका निराकरण परीक्षणोपरान्त जन-हित तथा न्यायहित में किया जाना चाहिए।

संसद तथा विधान सभाओं के अछे कार्यकलापों की दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है कि संसद तथा विधान सभाओं की प्रक्रियाओं के अनुसार अध्ययन तथा तत्संबंध में प्राप्त अन्य साहित्य का मनन-चिन्तन अधिक से अधिक किया जाना चाहिए। आजकल अध्ययन की प्रवृत्ति नगमग समाप्त सी होती जा रही है तथा विधान सभाओं की प्रक्रियाओं का अनुपालन न होकर विधान सभाओं में हंगामों के दृश्य उपस्थित हो जाते हैं जिससे उसका साम न तो किसी पक्ष को मिल पाता है और न ही किसी सर्वसाधारण को। बिना प्रक्रिया एवं नियम के विधान सभाओं की चर्चा एवं बहस अरने आप में व्यर्थ एवं निरुद्देश्य मोघिक भ्यापाम ही होता है। अतएव प्रारम्भ में नये चुनकर के आये विधान सभा सदस्यों के लिये, मार्गदर्शन केन्द्र को स्थापना यदि की जाय, तो उसका परिणाम अच्छा होगा। इसी तरह विभिन्न पार्टियों को भी अपने पालियामेन्ट पार्टी के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न विभागों की इकाइयाँ स्थापित

करनी चाहिए, जहाँ वस्तुओं का संकलन हो और उस दिशा में कुछ विधायकों अथवा सांसदों को प्रशिक्षित किया जा सके। चर्चा का जितना ही अच्छा सार विधायकों का होगा, उतना ही नागरिक जीवन में एक सामान्य जीवन प्रशामन पर उसका असर पड़ेगा। विधान सभा में बैठने वाले जनसेवक अक्सर यह भूल जाते हैं कि सारे प्रदेश की दृष्टि उन पर लगी रहनी है। उनकी प्रत्येक चर्चा और उनके प्रत्येक व्यवहार से प्रदेश का जनजीवन प्रभावित होता है।

• •

नये सन्दर्भ में लेखक का दायित्व

साहित्यकार अपने युग का दर्पण होता है। समाज का वास्तविक चित्र उनकी रचनाओं में दिखता है। वस्तुतः साहित्यकार अपने युग का न केवल दर्पण है बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शक है जो युग को सही मार्ग प्रशस्त करते हुए उसे वास्तविक दिशा-बोध कराता है। शरीर तथा भौतिक समृद्धि का निर्माण अन्य बाह्य साधनों से तो सम्भव है, कानून की परिधिर्षा भी राष्ट्र-अन्य निर्माणों की दिशा में सहायक हो सकती हैं, लेकिन मन का निर्माण साहित्य के माध्यम से ही सहज, सुलभ और सम्भव होता है। मन निर्माण के नये राष्ट्र-चेतना और राष्ट्र-बोध अत्यन्त आवश्यक है और इस काम का अर्थवतना सही फल साहित्यकार देता है कोई अन्य विधा नहीं दे सकती। साहित्य से व्यक्ति के चरित्र-निर्माण पर प्रभाव द्वारा तो समाज पर इसका असर पड़ता ही है वैसे ही समग्र रूप में साहित्य का समाज पर सम्पूर्ण प्रभाव होता है। संसार में जितनी महान् क्रांतियाँ हुई हैं वे सब साहित्य के द्वारा हुई हैं। क्रांति का वास्तविक अर्थ होता है, जीवन-मूल्यों में परिवर्तन। एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था की ओर संचरण। चन्द्रगुप्त का एकछत्र राज्य घाणक्य के अर्थशास्त्र का ही परिणाम था। नेपोलियन बोनापार्ट के उत्थान में फ्रांस का विद्यालय साम्राज्य रूसो के क्रांतिकारी विचारों का ही परिणाम था। साम्यवाद का प्रसार मार्क्स के दास कैपिटल का ही परिणाम था। जर्मनी के विकास एवं द्वितीय विश्वयुद्ध का कारण भीत्से के ही विचार थे और भारतीय स्वाधीनता की भावना का जन्म महात्मा गाँधी तथा आरकासीन अन्य विचारकों, भगवान् तिलक तथा और दूसरे अनेकानेक सेखकों, विचारकों और साहित्यकारों के ही विचारों का ही परिणाम था, जिससे नवमानस न केवल प्रभावित हुआ, उद्वेगित हुआ और सम्पूर्ण भारत एक राष्ट्र के रूप में स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रस्तुत हो गया। रूस की

का श्रेय यदि हम सामान्य रूप से लेनिन को देते हैं तो वहाँ गोर्की और टाल्स्टाय को इस विचारधारा के निर्माण और इस जनमानस के निर्माण के लिए निश्चित महत्व दिया जावेगा। इसी के कारण ऐसी परिस्थितिर्मा बनी या बनाई गई जिससे क्रांति सहज और सम्भव हो सकी। प्रत्यक्ष रूप से भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, सेनानियों ने, सहस्रों लोगो ने अपने प्राण मिटाये लेकिन उनके मन को उस दिशा में तैयार करने के लिये रवीन्द्रनाथ टैगोर, बंकिमचंद्र, प्रेमचंद्र, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिलीशरण गुप्त तथा पं० सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी तथा इस प्रकार के अनेकानेक लेखकों और साहित्यकारों का योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। राष्ट्रीय सन्दर्भ तथा उसकी नयी मन्जिलों से हटकर साहित्यकार का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। वास्तव में राष्ट्र की जो भौतिक उपलब्धियाँ हैं, राष्ट्र को जो दिशा प्रदान करने का काम है, वह प्रत्यक्ष कार्य में सगे हुए मैदानी कार्यकर्ता ही करते हैं और उनके मानस को तैयार करने का काम निस्सन्देह साहित्यिक लेखक और विचारक ही करते हैं। आज भारतवर्ष में सबसे बड़ी आवश्यकता है राष्ट्रीय चेतना की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन २६-३० मई, १९७६ को दिल्ली में हुआ। मुझे अच्छी तरह से स्मरण है उस समय हमारे देश के प्रधानमन्त्री ने सभी कार्यक्रमों के ऊपर सर्वोपरि महत्व दिया था राष्ट्रीय चेतना (नेशनल फिटनेस) को। जब तक लोगों को यह चेतना नहीं होती कि जो कार्यक्रम दिया जा रहा है उस कार्यक्रम को मानसिक रूप से सही अर्थों में उसे अंगीकार करें, तब तक जो भी कार्यक्रम तैयार करें, हम उसे दिशा देने का भी प्रयास करें, यदि हमारे मानस में कहीं कोई बूटि है, कहीं कोई दोष है तो वे कार्यक्रम अपने आप में सम्पूर्ण नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार जो उसका अभीष्ट लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसलिये आज इस नये सन्दर्भ में जबकि हम न केवल विकास के लिये प्रयत्नशील हैं बल्कि एक निश्चित विचारधारा के अन्तर्गत अपने राष्ट्र के निर्माण की उस मन्जिल को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हैं, जिसमें गरीबी नहीं, खुशहाली हो, जिसमें विषमता न हो, जिसमें सबको न्याय मिल सके, विपन्नता न हो, जिसमें सब को रोजगार मिल सके। यदि एक सज्जम शक्ति सम्पन्न खुशहाल राष्ट्र बनाना है और वह भी नये रास्ते से, शांति और अहिंसा के रास्ते से, जिसमें प्रजातंत्र हो, जिसमें समाजवाद हो, जिसमें धर्म-निरपेक्षता हो तब इस दिशा में चिन्तन की तीव्र आवश्यकता है।

आज हमारे राष्ट्र ने इन लक्ष्यों को स्वीकार किया है चाहे वह किसी भी विचारधारा का मानने वाला हो, चाहे किसी पक्षगत विचारधारा पर आस्था रखने वाला हो किन्तु पूरे राष्ट्र की पूरी एक राय यही है कि हमें समाजवाद, प्रजातंत्र और धर्मनिरपेक्षता के रास्ते से आगे बढ़कर राष्ट्र का निर्माण करना है। एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो सत्सार में अपना एक अनोखा गौरवशाली स्थान बना सके। तो फिर क्या हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी विधायिका के माध्यम मात्र से ही उन्हें पूरा कर सकेंगे? निश्चित रूप से आज के इन नये सन्दर्भों में लेखकों एवं साहित्यकारों का दायित्व बढ़ गया है। हमें अच्छी तरह से स्मरण है कि जिस समय पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता संग्राम का आन्दोलन पूरे जोश पर था, श्यामलाल पापंद एक बहुत छोटा सा कवि था, लेकिन उसकी कविता ने पूरे राष्ट्र को झकझोर कर के रख दिया था और आज भी उनका गीत “विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झण्डा ऊंचा रहे हमारा” जन-जन का गीत है। जब तक हम गाँवों के धेती-धलिहानों में, झोपड़ियों में, पगडंडियों में रहने वाले, बसने वाले बहुत साधारण छोटे इंसानों को झकझोरेंगे नहीं, उनके जनमानस को हम तैयार नहीं करेंगे तब तक राष्ट्र ने जो एक बहुत बड़ा लक्ष्य अपने सामने रखा है उस लक्ष्य को एक छोटे समय के भीतर पूरी प्रतिबद्धता के साथ में, सिद्धान्त निष्ठा के साथ में पूरा करना दुष्कर एवं कठिन काम होगा। पिछले दशकभित्तों में हमने अनुभव किया कि एक ओर जहाँ राष्ट्र, विकासशील नीतियों द्वारा गरीबी को दूर करने का आह्वान करता रहा, नये-नये क्रांतिकारी और प्रगतिशील कानून बनाये जाते रहे, वही दूसरी ओर जो प्रबुद्ध साहित्यकार हैं, जो गतिशील साहित्यिक हैं वे अपेक्षाकृत उदासीन रहे। जनमानस के पास पहुँचने की उसकी स्थिति कुठित थी और ऐसे दूसरे तयकथित साहित्यकारों ने मंच पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ये ऐसे साहित्यकार थे जो ययार्थ की अपेक्षा कल्पनालोक में अधिक विचरण करते थे। साहित्यकार ऐसे थे जो समाज में कुंठा और असन्तोष को न केवल जाग्रत करते थे बल्कि उसका नेतृत्व करते थे। जो प्रबुद्ध एवं प्रगतिशील साहित्यकार हैं, जिन्हें समाजवाद, प्रजातंत्र पर सम्पूर्ण आस्था है वे साहित्यकार अपने को पंक्ति में पीछे और अपने आपको पिछड़ा हुआ अनुभव करते हैं। आज इस बात की जरूरत है कि हमारे ऐसे साहित्यकार जो देश में एक बहुत बड़ी संख्या में हैं, और जिनके मन में सम्पूर्ण आस्था है नये संदर्भों, नये परिवर्तन, नयी क्रांति के लिये, नये

मूल्यों की स्थापना के लिये, जिनके मन में व्याकुलता है, जिन्होंने न सिर्फ अपने
 धर्म को राष्ट्रीय सदमों से जुड़ा हुआ देखा है, पाया है और आज के परिस्थि-
 तियों में दुःख को भोग रहा है और उन दुःखों को हटाने के लिए बेचैन है,
 उन साहित्यकारों को सामने आना होगा। हमारा साहित्य अब ड्राइंग रूम में
 नीली वस्तियों की शोभा बढ़ाते हुए काफी की चुस्कियों के बीच में, अपने
 मानसिक संज्ञाओं के कुंठाओं को अभिव्यक्त करने का मार्ग साधन न बने
 बल्कि वह ग्रामोन्मुख बने। लोकगीतों, लोक नृत्यों के माध्यम से उन साहि-
 त्यकारों की, उन कवियों की वाणी मुखरित हो। जिस प्रकार से काजी
 नज्दुल इस्लाम ने बंगला देश में क्रांति का एक नया शंखनाद किया और
 जिस प्रकार से हमारे अन्य जन कवियों ने लोगों को प्रेरित करके जाग्रत किया
 जिससे इस देश में जो संभाव्य था वह शीघ्र संभव हो सका। आज
 आवश्यकता है इस बात की जब देश के हमारे महान नेता, बड़े नेता संसद के
 माध्यम से, कानून और विधि विधानों के माध्यम से तथा अन्य बाह्य
 उपकरणों और बाह्य साधनों के माध्यम से देश को संवारने का काम कर रहे
 हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तब निश्चित रूप से एक ऐसी
 शक्त में, जिसे स्वरों पर, राज्य स्तर पर तथा सम्पूर्ण देश स्तर पर हमारे
 लोक कवि, लेखक, विचारक जन जागरण दूत बनें। गाँव-गाँव के विकास-
 जगृति, नयी चेतना, नये राष्ट्रबोध की मशाल लेकर जुट जायें, ताकि जो
 विचारधारा हम चाहते हैं कि लोगों के और दिलों दिमाग में छाये, जिससे कि
 राष्ट्र का सही अयुधान हो, जिससे कि सही विचारधारा शीघ्र ही प्रस्थापित
 हो और हम करोड़ों भारतवासी के लिए जनसामान्य की मन की आकांक्षाओं
 को पूरा करने की दिशा में समर्थ हों, सफल हों।

तन्त्र-मन्त्र और ज्योतिष मेरी दृष्टि में

मैं मूलतः गाँव का निवासी हूँ। गाँव में ही पना, बडा तथा शिशु, किशोर एवं युवावस्था गाँव में ही व्यतीत हुई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के अन्तर्गत बिलासपुर से पश्चिम की ओर तखतपुर नाम के विकास खण्ड मुख्यालय से लगभग १४ मील दूर उत्तर-पश्चिम की ओर अनेक नाले एवं नदियों को पार कर हमारे गाँव तक पहुँचा जा सकता है। आज तो सोरभी होकर पक्की सड़क हो गई है किन्तु मेरे कलेज की शिक्षा पूरी होने तक, केवल बिलासपुर से तखतपुर तक ही पक्का रास्ता था, बाकी पैदल चलकर या घोड़े से ही सवारी की जा सकती थी। यहाँ के ग्रामीण जीवन की अनेक अनुभूतियाँ मेरे जीवन के संस्कारों के साथ जुड़ गई हैं। इन अनुभूतियों में एक अनुभूति भूतप्रेत एवं जादू-टोने की है।

भूतप्रेत या जादू-टोने पर विश्वास की भावना ग्रामीण जगत में गहराई तक व्याप्त है। वहाँ के लोग इसे भय एवं आस्था के कारण मान्यता देते हैं। बरसात की काली घनी रात में चलकर, जब एक गाँव से दूसरे गाँव जाना होता था तो नदी किनारे के झाड़ों पर लगातार एक साथ चलते हुए जुगनुओं को देखकर मेरे साथी कहते थे कि इस झाड़ पर भूत का निवास है, और इसलिये ज्यादा जुगनु एक साथ इस वृक्ष पर झूम रहे हैं। घनी अमराईयों में अक्सर शमसान भूमि हुआ करती थी। वहाँ भूतों का डर बताया जाता था। अनेक बार किसी न किसी कारण से हमें इन अमराईयों के नीचे से गुजरना पड़ता था। उस समय आगे-पीछे जितने चलने वाले लोग होते थे, दम साधकर मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आगे बढ़ते थे। मेरे गाँव के पश्चिम में फुलवारी नाम का एक नाला पड़ता था जिसके कगार पर मुसलमानों का कब्रिस्तान था। उसके समीप ही माने ने एक शरने का रूप से सिपा

है। प्राकृतिक एवं आकर्षक स्थल होने के कारण यह स्थान मुझे सदैव प्रिय रहा है। कॉलेज की छुट्टियों में, जब मैं गांव जाता था तब अवसर निर्जन दोपहरियों में, सध्या या सूर्यास्त के बाद भी बहुत रात तक इस शरने के पास बैठा चिन्तन तथा भावलोक के जाने कितने ताने-बाने बुना करता था। रात में कभी-कभी ८ और ९ बज जाया करते थे। इस शरने के पास से बस्ती के भीतर आने के बीच में वह कब्रिस्तान पड़ता था। कभी-कभी वहाँ किसी नयी कब्र पर दिये जलते हुए दिखाई पड़ते थे। कभी-कभी किंचित् भय, आशंका और रोमांच जरूर महसूस होता था लेकिन शरने का आकर्षण मुझे जाने किस चुम्बक शक्ति से धींच कर अपने पास बुला लेता था। लगातार कम से कम ५-६ वर्ष तक मैं उस निर्जन स्थान पर जाता रहा। घंटों वहाँ बैठता, उस समय की लिखी हुई मेरी व वित्ताओं का यही सृजन स्थल था। कॉलेज जीवन के बाद बिलासपुर जिले के सभी अंचलों के लगभग एक हज़ार गांव में पैदल चसकर जाने का भी अवसर मुझे प्राप्त हुआ, जिसमें देर-सबेर तथा आधी रात एवं दिन-दिन भर चलने के अनेक अवसर आये हैं। इस सफर में ऐसे भी स्थान मिले जहाँ वर्षों से यह मान्यता चल रही थी कि किसी स्थान पर या तो देवी-देवता होते हैं या भूतप्रेत होते हैं। मैं चाहता था, हालांकि भय भी होता था कि किसी प्रकार के भूतप्रेत या देवी-देवताओं का एकाध बार भी साक्षात्कार होने का मौका मिले, लेकिन मालूम नहीं था तो भूतप्रेत होते ही नहीं अथवा मेरा दुर्भाग्य रहा कि जीवन के ५४ वर्ष पूरे करने के बाद भी एव सूनसान स्थानों पर मरघंटों में अकेले रहने और जाने के बाद भी मुझे उनके दर्शन नसीब नहीं हुए।

एक बार जब मैं ८-१० वर्ष का था, तब की एक घटना स्मरण है। एक प्रौढा महिला (जाति की छिपिया) थी, हमारे घर के पीछे रहती थी। दोपहर के समय जब वह घास काटकर सौटी तब पागल जैसी हो गई। वह अनाप-धानाप बकने लगी तथा हाथ-पैर पटकने लगी। उस समय हमारे गांव में प्राथमिक स्कूल नहीं था। अपने गांव से २ मील के फासले पर रानीडेरा नाम के एक गांव में हम लोग पढ़ने जाते थे। दोपहर को स्नान एवं भोजन के लिये वापस आकर शाम को फिर जाते थे। दोपहर को जब सौटी, तब मालूम हुआ कि सुन्दरबाई को भूत ने पकड़ लिया है। कौतूहलवश मैं भी गया। एक मंत्र पढ़ने वाले सज्जन (जिनको छत्तीसगढ़ में बैगा कहा जाता है) भूत उतारने की

कार्यवाही में लगे थे। इस प्रक्रिया में जहाँ उस महिला पर घड़ों से पानी डाला जाता था, वहीं इमली की कोमल छड़ियाँ बनाकर उससे उसकी पिटाई भी की जा रही थी तथा मुँह से कुछ मन्त्र का उच्चारण हो रहा था एवं कन्डे पर धूनी जलाकर मिर्च का धुआँ दिया जा रहा था। भीड़ तथा भूख के कारण मैं वहाँ ज्यादा ठहरा नहीं, लेकिन मालूम हुआ कि थोड़ी देर में उसका भूत भाग गया था। पता नहीं ठण्डा पानी उडेलने के कारण अथवा गोजा से मार खाने या मिर्च के धुँये से भूत भागा अथवा मन्त्र और तन्त्र से। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले गाँव में एक पंजाबी मुसलमान आया था, उसका औरत मर गई थी। उसी औरत ने उसको पकड़ लिया था। जिस पेड़ के नीचे वह घाम काट रही थी तथा जहाँ प्रेत ने उस औरत को पकड़ा था उसके नीचे से रोज हम लोग दिन में चार बार अवश्य निकसते थे। हमारे गाँव और साप वाले गाँव के बीच में एक मधु सासाब था, उसमें भी भूत का डेरा बताया जाता था। तानाब के पार से हम लोग निकसते थे तो सदैव भूत का डर बना रहता था किन्तु भूत हम पर मेहरबान था कि इच्छा होते हुए भी वह दर्शन नहीं दे सका।

छत्तीसगढ़ के गाँव में टोनही शब्द बहुत प्रचलित है। टोनही शब्द उन औरतों के लिये उपयोग में किया जाता है जिन्होंने तन्त्र विद्या से टोना करना सीख लिया हो तथा इसके द्वारा वह किसी भी स्वस्थ और अच्छे व्यक्ति को बीमार कर सकती हैं, सोते हुए व्यक्ति के छाती पर पतले धागे का सुराख लगाकर सारा खून पी सकती हैं। अक्सर गाँव में मुनने को आता था कि जब गाँव में कोई बीमार पड़े तो यह कहा जाता था कि फसाना टोनही ने टोना कर दिया है। कई-कई टोनही हैं, तथा किन्हीं टोना करना मालूम है इस बात की काफी बड़ी घर्चा होती थी। ऐसे लोगो को नजरों से बचने की हर कोशिश की जाती थी। जब मैं बच्चा था तब की तो और बात है किन्तु अब जब मैं गाँव जाता हूँ तो खाने-पीने की कोई चीज मुझे दी जाती है तो मेरी माँ इस बात की कोशिश में रहती है कि वहाँ की किसी प्रकार की औरतों की नजर छाने-पोते वक्त न लगे। एक बार जन्माष्टमी की रात मैं बहुत जोरों से पेट का दर्द हुआ। मुझे बताया गया कि किसी टोनही ने टोना कर दिया है। जब मैं उन्हें बताया था कि शाम को ५ बजे मैंने पावन के आटे की रांटी खाई है तब उस पर सांग ध्यान

नहीं देते थे। इस पर मैं मन ही मन क्रोधित होता था पर विवश था। छत्तीसगढ़ के गाँव में टोनही की यह प्रथा और इस पर यह अन्धविश्वास इतना दृढ़ है कि आज भी सन् ८० की दशाब्दी में गाँव-गाँव टोने एवं मन्त्र पर लोगों का गहरा विश्वास है। अभी मेरे पास अपने ही गाँव का एक फौजदारी मुकदमा विचाराधीन है। इसमें ८-१० व्यक्ति अपराधी हैं तथा उनका बचाव मैं कर रहा हूँ। इन पर आरोप ये है कि उन्होंने एक महिला को टोनही करार देकर उसे इमली की कच्ची छड़ी से पीटा तथा जाँघ पर छूब मारा एवं रात भर एक कमरे में बन्द रखा। यह अभियुक्त बहुत सीधे-साधे, अपठ प्राचीण हैं तथा उनके पास गाँव से दिलासपुर मोटर, बस में भी बैठकर वेसे नहीं होने के कारण पैदल चलकर आते हैं। उनसे पूछने पर मालूम हुआ कि उनमें से प्रमुख अपराधी की बहिन को उक्त तथा-कथित टोनही ने टोना सिखाने का काम अपने हाथ में लिया तथा घर वालों के द्वारा मना किये जाने पर वह टोनही क्रुपित हो गयी, और उसने बहन को ही टोना कर उसे पागल कर दिया जिससे वह बाद में मर गई। पुलिस तथा न्यायालय जादू-टोने को गलत करार देती है। आजकल के सम्य एवं शिक्षित नागरिक मन में रखते हुए इस जादू-टोने को अवैज्ञानिक करार देते हैं। मेरी भी मान्यता जादू-टोने के पक्ष में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे भारतवर्ष के सभी प्रदेशों में, केवल गाँव में ही नहीं अपितु नगरों में भी अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे लोगो के बीच में तन्त्र-मन्त्र और जादू-टोने के अंध-विश्वास की भावना समाप्त होने के स्थान पर दिन-प्रतिदिन और बढ रही है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। गाँव के अशिक्षित तथा असम्य लोगों को कुछ भी कहकर नकारा जा सकता है लेकिन बड़े-बड़े पढ़े-लिखे लोग, राजनीति में ऊँचाईयों तक पहुँचे हुए लोग किसी न किसी तान्त्रिक के सहारे क्यों रहते हैं, यह तान्त्रिक नाना प्रकार के तन्त्र और मन्त्र से उनको आगे बढ़ाते हैं या उनकी रक्षा करते रहते हैं। कलकत्ता की काली देवी, गोहाटी की कामाख्या देवी, पूरे असम, बंगाल और छत्तीसगढ़ के गाँव-गाँव में घर-घर जादू और टोने के किन्से मशहूर हैं तथा आजकल के युग में नाना प्रकार के सन्त, ब्रह्मचारी, सदाचारी, बाबा अपने तन्त्र-मन्त्र के जरिये सीधे राजदरबार में प्रवेश करते चले जा रहे हैं तथा विज्ञान के इस जमाने में हमारे देश के राकेश शर्मा भले अंतरिक्ष में उड़ान भर आये हों, लेकिन हमारे देश के उद्योगपति, सधमीपुल, शिक्षाविद् एवं राजनेता तन्त्र और मन्त्र की दुनिया में उड़ाने भर

रहे हैं। अमरीका और राजस्थान के विद्यालय में मृत्यु के बाद जीवन इस त्रिपय पर अनेक शोध हुए हैं, तथा ग्रन्थ लिखे गये हैं तथा इनको एक नये नाम से पुकारने का सिलसिला शुरू हुआ है जिसे कि परामनोविज्ञान कहा जाता है। इसके अन्तर्गत यह मान्यता होती है कि मृत्यु के उपरान्त आदमी शरीर को छोड़ने के बाद भी उस समय तक भटकता रहता है, तथा उस भटकार की स्थिति में ही असतुष्ट आत्मा भूत और प्रेत बनकर आचरण करती है तथा सभानि काल पर पुनर्जन्म किसी मानव शरीर या अन्य योनि में उसका हो जाता है। इस प्रकार की मान्यता का वैज्ञानिक घरातल कहीं तक सच एवं सार्थक हुआ है वहा नहीं जा सकता, तथापि विभिन्न उदाहरण देकर तर्कों की निष्पत्ति की जाती है। चूंकि इस प्रकार की घटना अमुक-अमुक स्थान पर हुई है अतएव यह घटना सत्य है तथा इस सम्बन्ध में जो तर्क और कारण दिया जाता है उन्हें भी इन तर्कों के कारण भी सत्य बताया जाता है। इस प्रकार की रुढ़ि भावनाएँ भारतवर्ष के बाहर बड़ी संख्या में हैं। इस प्रकार की मानसिकता का आधे से ज्यादा अंश इन रुढ़ियों एवं अन्य विश्वासों पर घिरा रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि जादू या टोना नहीं होता। किन्तु नजर का प्रभाव प्रखर एवं कोमल होता है। कुछ लोग तन्त्र साधना में मन की स्थिरता, दृढ़संकल्प और आत्मविश्वास की महत्ता को ही अधिक ध्येय देते हैं और यह कहते हैं कि तन्त्र का साधक अपने तन्त्र और तन्त्र के बल पर इतनी मानसिकता, दृढ़ता प्राप्त कर लेते हैं कि फिर -वह जो चाहते हैं वही कर सकते हैं। इस प्रकार के लोगों के बीच रहने का मुझे अवसर तो नहीं आया है, किन्तु मन्त्र के सम्बन्ध में एक घटना मुझे अवश्य याद आ रही है।

सन् १९६४ की फरवरी का एक प्रसंग याद आता है। सन्त विनोबा भावे का बिनासपुर जिले में पदयात्रा का कार्यक्रम चल रहा था। बिनासपुर जिले की मुगोली तहसील के पाडातराई के गाँव में उस दिन उनका अन्तिम पड़ाव था। सन्ध्या ४ बजे कुछ बादल आकर हल्की बूँदा-बाँधी हो गई थी। एक आम के बगीचे के नीचे विनोबा जी की सभा में उनका प्रवचन समाप्त हुआ था तथा वे अपने शिविर पर जा चुके थे, भीड़ भी छंट गई थी। विनोबा जी के स्टेनो, जो उनके भाषण को शीघ्रलिपि में लिखते थे तथा केरम के निवासी थे, वही थे। मैं भी सभा-स्थान पर ही था। थोड़ी देर में यह

स्टेनो चीखने-चिल्लाने लगा तथा उसने बताया कि उसको बिच्छू ने डंक मार दिया है। पैर के अंगूठे में डंक लगा था तथा वह अपना पैर पकड़कर चिल्लाने लगा तथा रोने लगा एवं बताया कि किस प्रकार से जहर उसके शरीर में बढ-चढ रहा है। विनोवा जी की पद्मयात्रा टोली के साथ एडीशनल सिविल सर्जन श्री गुप्ता जी मोबाईल वान लेकर चल रहे थे। उन्होंने फौरन इन्जेक्शन देने के लिये पानी गरम करने को कहा। उसी बीच पांडातराई गाँव के एक आदमी ने आकर कहा कि वह इस गाँव के एक व्यक्ति को जानता है जो मन्त्र से बिच्छू का जहर उतारता है। डा० गुप्ता जी तथा अन्य लोगों ने उसका भोजक उड़ाया। उसने कहा तो उसे बुला लेने में क्या हर्ज है, उससे कुछ नुकसान होना है नहीं। आखिर में बिच्छू के जहर उतारने वाले उस व्यक्ति को बुलाया गया। मैं वही पर था। एक अधनगा व्यक्ति शरीर में जो एक पटकू पहने हुआ था उस पटकू के एक छोर को ऐंठकर मन्त्र पढ़ता था तथा तीन बार उसे अपनी उंगलियों पर झटकता था। जब वह अपने कपड़े को ऐंठता था तब वह स्टेनो भी ऐंठने लगता था और हर बार झटकने के बाद स्टेनो यह कहता था कि उसका जहर नीचे उतर रहा है तथा तीसरे बार वह रोता हुआ स्टेनो, जिसकी आँखों में आँसू थे, मुस्कराने लगा। उसके मुँह से निकले हुए शब्द मुझे याद हैं जबकि उसने यह कहा था कि 'कमाल' है। मैं यह नहीं समझ पाया कि जादू-टोने सब गलत हैं तो यह घटना जो मेरे सामने घटी, जिसमें मन्त्र के द्वारा बिच्छू का जहर उतारा गया वह कैसे और क्यों हुआ? वैसे तो साँप के जहर उतारने के भी अनेक किस्से बताए जाते हैं। एक-दो साँप के जहर उतारने के प्रयोग मेरे सामने भी हुए हैं, लेकिन उसको प्रामाणिक तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि उससे साँप का जहर उतर गया, क्योंकि साँप यदि जहरीला नहीं है तो जहर उतारने और नहीं उतारने का कोई विशेष मकसद नहीं होता। इन दिनों इन बातों को जितना दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, सारी वैज्ञानिकता के बाद भी रुद्धियों की हमारी मानसिकता घटी नहीं बल्कि बढी है तथा राजनीतिज्ञों के द्वारा भी इसे नये सिरे से प्रश्रय प्राप्त हुआ है। जहाँ तक ज्योतिष का सम्बन्ध है मैं अपने बारे में यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी प्रकार की ज्योतिष की भविष्यवाणी मेरे साथ नहीं हो पाई। सन् १९६७ में मैंने पहली बार कांग्रेस की टिकट पर विधान-सभा का चुनाव लड़ा। उस समय तत्कालीन ज्योतिषप्राप्त एवं प्रतिष्ठित ज्योतिषों ने मेरे पिता को यह निश्चर किया था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना

चाहिये। चुनाव में विजय प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है तथा मार्केट का योग भी है जिससे मृत्यु हो सकती है। माता-पिता की इवलाती सन्तान होने के कारण उन्हें बड़ी चिन्ता थी, तथा चुनाव लड़ने के लिये वे बार-बार मना करते रहे। जाहिर है कि चुनाव हुए, मैं लड़ा और विजयी भी हुआ तथा किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं आया। इसी प्रकार की एक दूसरी घटना सन् १९७३ में हुई जबकि मुझे विश्व शांति सम्मेलन के लिये मास्को जाना था। मेरे घर पर अनायास दक्षिण भारत के एक ज्योतिषी आए जिन्होंने मेरी जन्म-पत्री देखकर यह बताया कि मैं किसी भी हालत में विदेश नहीं जा सकता था। मेरे मन में चिन्ता समा गई। मैंने ३,२०० रुपये पहले ही जमा कर दिये थे। पासपोर्ट सखनऊ से मिलता था, जिसके न आने के कारण मैंने एक व्यक्ति को अलग से सखनऊ भेजा तथा स्वयं दिल्ली चला गया। जाने के दिन तक वह सज्जन नहीं आए तो मुझे प्रतीत हुआ कि ज्योतिषी की भविष्यवाणी सही निकलेगी। किन्तु उसी समय शान्ति एवं एकता के महासचिव ने कहा कि वह एक अस्थाई पासपोर्ट दिल्ली से बनवा देंगे जो कि उन्होंने बनवा भी दिया। रात १० बजे फिर बताया गया कि बीसा के लिये ३ पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता है। वह फोटो मेरे पास थी नहीं तथा रात १० बजे और इतवार का दिन होने के कारण तत्काल फोटो का उतार पाना भी संभव नहीं था। मेरे पास तीन अलग-अलग साइज के अलग-अलग मुद्रा की फोटो थी जो मैंने महासचिव महोदय को दिया। उन्होंने बताया कि अनुमति मिलने की संभावना प्रतीत नहीं होती। १२ बजे रात को प्लेन के उड़ान भरने का समय था। मैं हवाई अड्डे पर महासचिव की प्रतीक्षा करता रहा। लगभग डेढ़ बजे वह वहाँ आए और उन्होंने बताया कि मास्को के लिए बीसा की अनुमति मिल गयी है। तदुपरान्त जब हवाई जहाज पर जाकर बैठा तो यह बताया गया कि मशीन की खराबी के कारण हवाई जहाज उड़ान नहीं ले पा रहा है। फिर मुझे चिन्ता हुई कि शायद ज्योतिषी की बात सच निकले। लेकिन लगभग ५ बजे प्रातः हवाई जहाज ने उड़ान लिया और रूस की यात्रा सफुल्ल कर मैं वापस आया। उसके बाद एक दूसरी घटना सन् १९७६ में हुई जबकि जिला प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) के एक ज्योतिषी महोदय वहाँ पहुँचे। वे बिलासपुर के बड़े चिकित्सक के यहाँ यज्ञ अनुष्ठान करा रहे थे। उन्होंने मेरी जन्म-पत्री देखी और उसके दो दिनों बाद यह कहा कि उनकी भृगुसंहिता में मेरा जन्म और ज्योतिष-

फल लिखा हुआ है। उन्होंने मुझसे ५० रुपये लेकर इसे पढ़कर सुनाया। उसके अनुसार सन् १९७६ से लेकर सन् १९८२ के बीच मेरी मृत्यु अवश्य-म्भावी थी। इस संबन्ध से बचने के लिए उन्होंने भृगुशास्त्र के द्वारा ८ दिनों का अनुष्ठान करने तथा पाँच तोला सोना एवं पाँच हजार दान में देने के लिये कहा। इस हेतु मैं तैयार नहीं हुआ। पंडितजी बड़े क्रोधित हुए। सन् ८२ बीत चुका है तथा भृगुसंहिता की भविष्यवाणी उनकी घोषणा के अनुसार सही नहीं उतरी। इस प्रकार की ऊलजलूल और नाना प्रकार की भविष्यवाणी और ज्योतिष से हमारे देश के लोग नाना प्रकार के मानसिक ग्रंथियों से ग्रस्त रहते हैं तथा काल्पनिक ग्रन्थियों से मुक्त होकर मुक्त मन से नहीं रह सकते। बुरे भविष्य फल का डर ही उन्हें खाये रहता है तथा अच्छे भविष्य फल से आदमी अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह हो जाता है। अपनी स्थिति में उसे हानि होती है तथा पूजा-पाठ अनुष्ठान कराने वालों की दुकानदारी खूब चलती है। इस प्रकार के ठगों तथा भविष्यवक्ताओं के द्वारा न मालूम कितने युवक-युवतियाँ, राजनेता, अफसर, व्यापारी रोज ठगे जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि इसकी भी प्रामाणिकता की शोध की जाए। विषय को टालने के बजाय उसे समझने की जरूरत है। परामर्शोविज्ञान एवं ज्योतिष दोनों का वैज्ञानिक घरातल पर समीचीन अध्ययन एवं शोध आवश्यक है। इस विशिष्ट अध्ययन द्वारा सत्य-असत्य का निवारण होने से आम जनता ही नहीं, शिक्षित विशिष्ट वर्ग भी वर्तमान असत्य, ठगी तथा प्रवचन से बच जायेगा।

सहकारी आन्दोलन चुनौती के दायरे में

स्वतन्त्रता प्राप्ति के ३ दशक समाप्त कर चौथे दशक से हम गुजर रहे हैं। इस बीच हमारे देश के प्रजातांत्रिक एवं समाजवादी ढाँचे में सहकारिता आन्दोलन का योगदान अभिन्न रूप से जुड़ गया है। वैसे तो सन् १९१२ में पहिला सहकारी कानून अंग्रेजों के जमाने में ही देश में लागू हुआ। ब्रिटिश शासन काल से ही किसी न किसी रूप में सहकारी जगत में साख के कार्य तथा अन्य कार्य किये जाते रहे हैं, किन्तु स्वतन्त्र भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में सहकारी क्षेत्र का विस्तार निरन्तर बढ़ता गया तथा उसका आकार एवं स्वरूप भी व्यापक होता गया। आज देश अथवा प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसमें सहकारी कार्य पद्धति का समुचित प्रवेश न हो।

हमें यह समीक्षा करनी है कि क्या सहकारिता का माध्यम एवं सहकारी आन्दोलन उस स्वरूप को प्राप्त हो चुका है अथवा यथेष्ट रूप में गतिमान है जिसकी कल्पना समाजवादी समाज की स्थापना के लिये हमारे राजनैतिक चिन्तकों एवं विचारकों ने की है? यह ठोक है कि ब्रिटिश शासन काल के समय चन्द वैभव एवं समृद्धि का जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के लिये सहकारिता से उन्हें किंचित मानसिक बदलाव का सुख या उनकी सोकेष्णा शमन अथवा अवकाश के क्षणों का उपयोग प्रतीत होता रहा, लेकिन वह कार्य सामाजिक बदलाव एवं आर्थिक क्रान्ति का कार्य नहीं था। आज भी हम यह घोषित करते हैं कि हमारे देश में जब एक तरफ प्रजातन्त्र की स्वीकार किया है तथा दूसरी तरफ समाजवाद लाने के लिये हम कृतसंकल्प हैं तब उसकी संभावित प्रक्रिया का कार्य सहकारिता का ही है। इसमें नागरिक पुरुषार्थ के माध्यम से स्वेच्छित रूप से आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन किया जा सकता है। सहकारिता के क्षेत्र में पूरे देश में बहुत बड़ी पूंजी का अरबों और खरबों में विनियोजन हुआ है तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। कहा जाता है कि पूरे देश में १२ करोड़

सहकारी क्षेत्र के सदस्य के रूप में किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। जिस देश में किसी आन्दोलन के लिये दीक्षित एवं अनुप्राणित सदस्यों की संख्या १२ करोड़ हो वह आन्दोलन आज व्यावहारिक जगत में इतना असहाय और विकलांग प्रतीत हो, यह बात विवेक की तुला पर सही नहीं उतरती। इतनी विशाल जनशक्ति के माध्यम से पूरे देश के नक्शे को बदला जा सकता है। देश का नया भाग्योदय हो सकता है तथा उस देश की राजसत्ता भी इस आन्दोलन के अधीनस्थ ही रह सकती है। इसलिये ऐसा लगता है कि हम सहकारी आन्दोलन के बाह्य कलेवर तथा उसके संगठन की रूप-रेखा एवं भौतिक पक्ष को ही देखते हैं, यह नहीं देख पा रहे हैं कि वस्तुतः यह आन्दोलन, जन सामान्य के कितने निकट है तथा जीवन को झूती हुई समस्याओं के निराकरण के लिये कितना सार्थक एवं सक्षम है। इस सम्बन्ध में एक-दो बातों पर विचार करना है।

सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर यह देखना आवश्यक है कि शासन के जितने विभिन्न विभाग हैं उनमें सहकारिता का बजट अत्यधिक कम है। अनेक बार विधायिकाओं में सहकारिता के बजट पर चर्चा न होकर, उसका गुलेटिन ही हो जाता है। भित्तव्ययिता से नाम पर यदि किसी भी विभाग के बजट में कटौती होती है तो सबसे पहिला नम्बर सहकारिता विभाग का ही होता है। दूसरी बात यह है कि पिछले ३३-३४ वर्षों से सहकारिता आन्दोलन को जन स्वावलम्बी बनाने के बजाय उसे शासन के सहकारी विभाग का मुख्यापेक्षी आन्दोलन ही बना दिया गया है। दुनिया के संभवतः किसी दूसरे देश में सहकारिता का कार्य शासकीय विभाग के मोद का जिनौना कभी नहीं रहा। इस दिशा में हमें बहुत मजबूती और साहस के साथ सोचना और निर्णय लेना होगा।

कहा जाता है कि सहकारी आन्दोलन पक्षातीत है तथा सहकारी मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व राजनीति के जूते बाहर ही रखे जाना चाहिये। सहकारी आन्दोलन को राजनीतियों के वहम एवं उमंग का नरक नहीं बनाना चाहिये, किन्तु प्रत्यक्ष कार्यों में ऐसा लगता है कि पग-पग पर इसका उपयोग होता है। यही कारण है कि यह आन्दोलन अपना स्वतन्त्र स्वरूप नहीं ले पा रहा है एवं अभी भी सहकारी आन्दोलन सर्वथा विकलांग स्थिति में परमुखापेक्षी रह गया है। रजिस्ट्रार के विभाग की भूमिका मित्र, दार्शनिक

एवं मार्गदर्शक के रूप में कितनी है तथा कठोर एवं कुटिल चौकीदार के रूप में कितनी है यह प्रश्न बड़ा अहम है। दूसरी बात जो सबसे जबरदस्त है, वह है राजनीति के समान सहकारी क्षेत्र में भी पेशेवर सहकारी नेतृत्व का साम्राज्य व्यापक हो गया है तथा परस्पर अवलम्बन एवं परस्पर सहयोग की नीति के आधार पर काम करते हुए वे उन जन सामान्य को जो अपने हाथ में क्रान्ति की मशाल लेकर कसमसा रहे हैं, पीछे ढकेलने में सर्वथा समर्थ हो जाते हैं। सहकारिता में व्यवस्था एवं नागरिक पुरुषार्थ दोनों का समुचित समन्वय होना चाहिये। कई बार ऐसा लगता है कि प्राण-तत्व समाप्त हो जाने के बाद भी अन्य विभागों के समान व्यवस्थाशाही ही सहकारी संस्थाओं में हावी हो जाती है तथा जन-आकांक्षाएँ एवं लोक-पुरुषार्थ कोसो पीछे रह जाता है। मानवीय संवेदनाओं का सहकारिता के क्षेत्र में ध्यान रखा जाना अत्यन्त आवश्यक है।

हमारे देश में एक बड़ा विरोधाभास है कि हमारे संस्कार सामन्तवादी हैं, इच्छाएँ पूँजीवादी हैं और घोषणाएँ समाजवादी हैं। इस विरोधाभासी माहौल का ही परिणाम है कि सहकारिता का तमाम आन्दोलन, जो सटक के आम आदमी के लिये अभिमन्त्रित एवं संचालित है वह आम आदमी सटक पर खड़ा तमाशबीन बना रहना है और उसका नेतृत्व वे लोग करते हैं जिनका निपेक्ष सहकारी आन्दोलन की परिभाषा में किया जाता है। साख का काम सहकारियों के हाथ में होता है तथा उपभोक्ता आन्दोलन व्यवसायिकों के हाथ में एवं कालोनाइज़र आवास की समस्या पूरी करते हैं। वस्तुतः सहकारिता का आन्दोलन एवं उसकी आवश्यकता जिनके लिये है उन्हीं के हाथ में उसही सत्ता, वर्चस्व एवं नेतृत्व होना चाहिये, वरना पहिले भी राय साहब और दीवान बहादुर सहकारी आन्दोलन के नेता हुआ ही करते थे। मध्य प्रदेश के सहकारिता विभाग के मन्त्री श्री मुनिप्रसाद जी शुक्ल अक्सर कहते हैं कि सहकारी क्षेत्र में तीन व्यक्ति ही काम कर सकते हैं। या तो वह यादशाह हो या फकीर या वह नंगा अथवा बदमाश हो। इन तीनों के भक्तिगत साधारण मध्यम वर्ग के गमाज अथवा निम्न आय वर्ग के लोगों के पुरुषार्थ का प्रादुर्भाव सहकारी आन्दोलन में अत्यधिक आवश्यक है और यह हमलिये संभव नहीं हो पाता कि अब सहकारी कार्य दया-भावना, या पुरसत के समय या काम न होकर पूरे समय या कार्य है और पूरा

दे पाना निम्न अथवा मध्यम आय के लोगों के लिये असम्भव होता है क्योंकि उसे तो नमक, तेल, लकड़ो का भी प्रबन्ध करना होता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पूरा समय देकर उसका समुचित पारिश्रमिक प्राप्त करने में कोई हठौ नही मानी जाती। मन्त्री एवं जन प्रतिनिधि भी मान सेवी होते हैं, किन्तु उन्हें पूर्ण पारिश्रमिक प्राप्त होता है। वास्तव में सहकारिता क्षेत्र में मध्यम वर्ग के ईमानदार कार्यकर्ता, जिसे पूरा समय देना चाहिये वह दे नही पाता क्योंकि उसे पारिश्रमिक दिया जाना सहकारिता के नियमों के विरुद्ध है अथवा उसे ओछी नजर से देखा जाता है। इस पूँजोवादी एवं सामन्तवादी संस्कार का उन्मूलन जितनी जल्दी होगा सहकारिता के क्षेत्र में सामान्य वर्ग के ईमानदार एवं पुरुषार्थी लोगों का प्रवेश बढ़ेगा, और तब यह आन्दोलन अभीष्ट रूप में प्राणवान हो सकेगा।

सहकारिता के आन्दोलन में प्रशिक्षण एवं शिक्षा का अपना विशिष्ट महत्व एवं दायित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस दिशा में सभी लोगो ने अपनी आँखें बन्द कर ली है। सहकारी संगठन के माध्यम से प्रशिक्षण का कार्य मात्र औपचारिकता के रूप में ही है तथा शासन के स्तर पर भी उसके महत्व को सभ्यतः अभी तक हृदयगत नहीं किया जा सका है। होना तो यह चाहिए कि स्कूलों, कालेजों एवं विश्वविद्यालयों में सहकारिता का एक अलग विषय हो जो कुछ स्तर पर अनिवार्य भी रहे तथा जन प्रचार के माध्यम से यथा आकाशवाणी, पत्र-पत्रिकाओं, टेलीविजन एवं फिल्मों के माध्यम से इसकी पूरी और सही जानकारी बार-बार जन सामान्य को दी जावे। अभी ऐसा होना बाकी है। इस दिशा में निश्चित रूप से चिन्तन की आवश्यकता है। एक बात और है। पार्लियामेंट में तथा विधानसभाओं में सहकारिता की सशक्त लाबी का होना अत्यन्त आवश्यक है। वैसे तो सहकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे लोग पर्याप्त मात्रा में विधायक एवं सामद के रूप में चुने गये हैं तथापि उनकी कोई लाबी नहीं है। अखिल भारतीय सहकारी संगठनों के अध्यक्ष भी सांसद लोग ही हैं, किन्तु सशक्त लाबी के अभाव में वे अपनी पूरी बात और सही बात शासन तक पहुँचा सकने में असमर्थ रह जाते हैं। अतः इस दिशा में भी सशक्त पहल की आवश्यकता है। उपरोक्त बन्द प्रश्न सहकारी क्षेत्रों के काम करने वाले लोगों के समक्ष इस धारणा से प्रस्तुत किये गये हैं कि सामाजिक एवं आर्थिक द्वांति के लिये

सहकारिता का कोई अन्य विकल्प नहीं है तथा परिस्थिति में विरोधाभास होने के बावजूद भी एवं सम्पूर्ण अनुकूलता न रहते हुए भी अनजाने में भी सहकारिता आन्दोलन उभर कर सामने आ रहा है। इसलिये उसको सही स्वरूप एवं दिशा देने के लिये सही आधार एवं सही नेतृत्व की सही समय पर आवश्यकता है।

• •

धर्म, भगवान और आदमी

ईश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा, ईसामसीह या इसी प्रकार के और भी दूसरे नाम से पुकारे जाने वाली एक ऐसी शक्ति की कल्पना है जिसे दुनिया के लोग किसी न किसी रूप में स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं, या इबादत करते हैं। दूसरी तरफ इस दुनिया में भागते-दौड़ते हुए मुबह से शाम और रात तक हजारों, लाखों और करोड़ों लोग अपनी जिन्दगी की मुसीबतों में घिरे हुए तथा भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये निरन्तर विषम स्थितियों में संघर्षरत हैं। इन दोनों स्थितियों के बीच कैसा तालमेल है तथा उनके जीवन की परस्पर कैसी आवश्यकता है, इसको लोग सोच-सोच कर मर जाते हैं। कई बार यह सोचने के लिये मजबूर होना पड़ता है कि क्या इस ससार में कोई हाथ पेर चलाने वाली आलौकिक शक्ति अथवा सब कुछ कर सकने वाली शक्ति से परिपूर्ण होकर भी चुपचाप तथा मौन रहने वाले इन्सानों के ऊपर कोई दृश्य या अदृश्य सत्ता है। क्या यह ताकत पूरे ससार में सब जगह के लिये एक है अथवा अलग-अलग। हमारे देश हिन्दुस्तान में हिन्दुओं के ३३ करोड़ देवता माने जाते हैं और भगवान के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा राम और कृष्ण आदि अनेक देवता हैं और उनकी पूजा की जाती है। उसी प्रकार से अनेक देवियाँ भी हैं। काली, दुर्गा, चामुण्डा तथा इसी प्रकार की और भी शक्ति पीठों में यह देवियाँ आसीन हैं। भारतवर्ष में ही हिन्दुओं के असावा सिखों का एक अलग धर्म है जहाँ उनकी समझ के अनुसार ईश्वर का अलग स्वरूप है। कहने को बौद्ध धर्म आर जैन धर्म निरोश्वरवादी हैं लेकिन स्थान-स्थान पर उनके धर्म के जिस प्रकार से मन्दिर बने हैं तथा मूर्ति स्थापित हुई है उसमें साफ जाहिर होता है कि शब्दों और मान्यताओं में ये भले निरोश्वरवादी हों किन्तु आचरण में यह पूर्ण ईश्वरवादी हैं।

हिन्दुस्तान में रहने वाले मुसलमान तथा दुनिया के अन्य देशों में यथा पाकिस्तान, अरब, ईरान तथा और दूसरे देशों में उनकी कल्पनानुसार उनके खुदा या अल्लाह का एक अलग स्वरूप है तथा उसको मानने का ढङ्ग भी अलग है जिसमें उनके कई पैगम्बर होते हैं। इसी प्रकार से आधी से ज्यादा दुनिया में ईसाई मजहब को मानने वाले हैं जिसमें उनके 'गॉड' का और प्रभु यीशु का एक अलग अस्तित्व है। कभी-कभी मन में यह शंका उठती है कि इस प्रकार से भगवान, खुदा या गॉड का किसी प्रकार का ये अजायबपर क्या वास्तविक है अथवा कुछ लोगों के मन का बनाया हुआ ख्याल ? और यदि इस प्रकार की कल्पना सही है तो क्या यह ३३ करोड़ देवता, खुदा, मोहम्मद पैगम्बर या ईसामसीह या ये तमाम लोग एक अकेले किसी स्थान पर रहते हैं और इन सबका वास्तव में कोई अस्तित्व है ?

जब हम अपने पुराणों को पढ़ते हैं अथवा अन्य धर्मग्रन्थों की व्याख्या करते हैं तब उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस दुनिया से अलग कोई एक लोक है जहाँ ये नाना प्रकार के ईश्वर रहते हैं। यह विचित्र कल्पना है। जिस प्रकार से मनुष्य के रूप में इस धरती पर हिन्दु, मुसलमान, सिख, ईसाई अलग-अलग मजहब को मानने वाले रहते, चलते-फिरते हैं, उसी प्रकार से उनके भगवान या खुदा भी अलग कही रहते हैं। यदि यह सब एक साथ नहीं रहते तो क्या अलग-अलग अपने मजहब के मानने वाले लोगों के लिये अलग-अलग लोक बनाकर, अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं ? इन सब बातों को एक साथ सोचने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब एक कल्पना और मन की उड़ान है। इस संसार का बनाने वाला यदि कोई भगवान या खुदा जैसे नामों का अस्तित्व है (मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है) तो वह अलग-अलग जाति और धर्म के लोगों की दुनिया बनाने वाला नहीं होगा। इस बात की कभी कल्पना नहीं की जा सकती कि हिन्दुओं को बनाने वाला कोई हिन्दु देवता होगा, मुसलमानों को बनाने वाला कोई मुसलमान देवता होगा, ईसाई को बनाने वाला कोई ईसाई देवता होगा। इस प्रकार के यदि भगवान और खुदा एक साथ हुए तो इस धरती के ऊपर धर्म और मजहब के नाम से खून-धराबी होती है उससे ज्यादा खून-धराबी इन धरती के बनाने वालों के बीच में होगा। सारी दुनिया में किसी भी देश में किसी जाति के या एक ही मजहब के मानने वाले नहीं रहते। आत्रकन सब ज

सब मजहब को मानने वाले भी रहने लगे है। इन खुदाओ की हुकूमत क्या उनके अपने ही मजहब के ऊपर चलेगी या दूसरे मजहब के लोगों पर भी चलेगी ?

वास्तव में विचारणीय प्रश्न यह है कि ईश्वर सत्य है अथवा एक कल्पना। यह भी सोचना है कि क्या इस जीवन के लिये ईश्वर का होना अनिवार्य है ? क्या उसके बिना इस संसार का काम नहीं चल सकता ? हम देखते चले आ रहे हैं कि कम से कम दुनिया के दो देशों में जहाँ पहले ईश्वर या खुदा को माना जाता था अब वहाँ समग्ररूप में धर्म, पूजा-पाठ या मजहब को नकार दिया गया है। प्रगट रूप से जिन अर्थों में ईश्वर की पूजा की जाती है उन अर्थों में बेशक कुछ नहीं होता तथा पिछले ५० वर्ष से इन देशों में वहाँ एक नया जीवन सुचारु रूप से चल रहा है। वहाँ कोई कठिनाई और अभाव उन्हें महसूस नहीं होता। ये देश है रूस और चीन। अगर ईश्वर हकीकत है तो इन देशों में पूजा-पाठ बन्द होने के बाद भारी प्रलय हो जाना चाहिये था तथा वहाँ के मनुष्य का जीवन संकटग्रस्त हो जाना चाहिये था लेकिन देखने में यह आ रहा है कि ये देश दुनिया के नवशे में और उभर कर सामने आ रहे हैं। आज के युग में जिसे उन्नति कहते हैं उस उन्नति के रास्ते पर ये मन्जिल-दर-मन्जिल आगे बढ़ रहे हैं। उन देशों में जहाँ भगवान को किसी न किसी रूप में जाना जाता है या पूजा जाता है वहाँ की स्थिति भी इन देशों से कोई ज्यादा भिन्न नहीं है। फिर वास्तविकता क्या है और ईश्वरत्व की कल्पना के पीछे तथ्य और सत्य क्या है इस पर विचार करना होगा।

आदिम युगों से मनुष्य का जब विकास हुआ तब वह वन्य प्राणियों के मध्य जंगलों में निवास करता था। उसे पानी, बरसात तथा अन्य जीव-जन्तुओं से नाना प्रकार का भय रहता था। उसके मन में एक भय की भावना अपने अस्तित्व की रक्षा के लिये उत्पन्न हुई। उसकी इस भय और अमुरक्षा की भावना ने ही अलग-अलग देश और काल में अलग-अलग रूप में देवी और देवताओं का रूप लिया। वे अपने आस-पास चारों तरफ प्रकृति और प्रकृति का प्रकोप देखते थे। शायद इसीलिये अपनी कल्पना के अनुसार उस देश के वातावरण और जलवायु आदि के आधार पर अपनी बुद्धि और

कल्पना के अनुसार उन्हें ईश्वर का मूर्त रूप देकर उसकी उपासना में मानव जाति लग गई। अगर दुनिया के सारे लोग एक ही स्थान पर होते तो एक ही परिवेश, वातावरण तथा देश और काल में ईश्वर की कल्पना भिन्न-भिन्न रूप में प्रकट नहीं होती। वह एक ही रूप में प्रकट होती। तब पूरे लोगों को पूरे विश्व की कल्पना भी नहीं थी एवं इसी कारण से यह विभिन्नता और विचित्रता का रूप सामने आया।

हम अपने देश में ही निरन्तर देखते हैं कि परिवर्तन हो रहे हैं। दिन-रात हमारे चरित्र में तथा जीवन-मूल्यों में गिरावट धाती जा रही है। इन्सान आज से २५ साल पूर्व या ५० साल पूर्व के इन्सान के समान इतना अच्छा और थोड़ा इन्सान नहीं रह गया है। उसकी स्वार्थपरता बढ़ गई है, उसमें कपट और कुंठिलता की भावना ज्यादा उभर गई है। उसकी सरलता नष्ट और भ्रष्ट हो चुकी है। इसके विपरीत निरन्तर मन्दिर, मस्जिद और गिरजाघरों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहले जितने यज्ञ और अनुष्ठान होते थे उससे ज्यादा यज्ञ और अनुष्ठान अब होने लगे हैं। आज नाना प्रकार के धार्मिक नेता तथा संतो और महन्तों का विकास एवं प्रादुर्भाव बढ़ गया है। क्या इससे यह समझा जाये और माना जाए कि लोगों का जीवन-स्तर अच्छा हो रहा है? क्या आज का इन्सान अब बेहतर जिन्दगी जीने लगा है? गहराई से अध्ययन करने पर पता चलता है कि सारी तरक्की, मुद्य-सुविधा एवं विकास के बावजूद आज का इन्सान पहले के इन्सान की तुलना में ज्यादा दुःखी है तथा उसे मानसिक संतोष भी उतना नहीं है, जितना पहले के लोगों में था। अब मन्दिर, मस्जिद, गुहदारा और गिरजाघर ज्यादा होने के बावजूद भी आदमी सुखी बयो नहीं हो पा रहा है? वास्तविकता यह है कि ईश्वर को समझने का गलत प्रयास किया जा रहा है तथा जीवन का नजरिया ही एक अलग ढंग से देखने का हो गया है। उसको सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जा रहा है और न समझा जा रहा है।

ईश्वर की उपासना सापेक्ष भाव से हो रही है अथवा निरापेक्ष भाव से इस बात का विचार भी जरूरी है। बड़े-बड़े धर्म और मजहब को मानने अपने आप को आस्तिक कहते हैं। आस्तिक की कल्पना क्या है? वैसे शीर पर जो अपने अस्तित्व पर विश्वास करता है उसे आस्तिक

जाना चाहिये, लेकिन यहाँ जो धर्म और मज़हब पर यकीन करता है उसे आस्तिक कहते हैं। उसे नहीं मानने वाले लोगों को नास्तिक और काफिर कहते हैं। जो धर्म, मज़हब को मानते हैं उनकी मानसिक पृष्ठभूमि क्या है? मेरा ऐसा विश्वास है कि यदि यह बात सिद्ध हो जाए या इसकी घोषणा हो जाए कि ईश्वर एक तत्व मात्र एक विचार भर है। उससे अच्छे जीवन-मूल्यों का निर्माण किया जा सकता है तथा जीवन का, सोचने का विचार करने का दृष्टिकोण एवं स्तर बनाया जा सकता है। हमारे विचार में ईश्वर ऐसा नहीं है जिसके चार हाथ हो या जो हवा में एक सेकण्ड में हजारों मील सफर कर ले, जब चाहे जहाँ प्रगट हो जाए और जब चाहे जहाँ लुप्त हो जाए। ऐसे सर्वशक्तिमान ईश्वर को कल्पना उचित नहीं है। ऐसा भी कोई ईश्वर नहीं है जो सन्तानहीन को सन्तान दे देगा अथवा बीमार को उसकी बीमारी में मुक्त कर दे, परीक्षा में बैठने वाले थालसी-छात्रों को अच्छे नम्बरो से पास करा दे या रातों रात किसी को गरीब और सखपति और करोड़पति बना दे। ईश्वर से यह अपेक्षा नहीं होनी चाहिये कि किसी भी बात की माँग करने पर उसकी माँग को वह पूरी कर दे। यदि यह स्थापित हो जाए कि माँगने से ईश्वर सब कुछ नहीं दे सकता है तथा उसका मनुष्य के जीवन से उसकी भौतिक उपलब्धियों से सम्बन्ध नहीं है। किसी से किसी को कुछ दे नहीं सकता तथा मन्दिरों और मस्जिदों में नाक रगड़ने वालों को उनकी चित्त की शान्ति के अलावे कोई उपलब्धि नहीं हो सकती, तो यह आस्तिकता के दम भरने वाले लोगों से यह प्रश्न पूछना पड़ेगा कि वह कहाँ तक ईश्वर और खुदा पर यकीन करते हैं। वास्तव में ईश्वर को चमत्कार के साथ जोड़कर पहले के विचारकों ने कितना न्याय किया है यह नहीं कहा जा सकता लेकिन यह निश्चित रूप से एक बात बड़े पैमाने पर उसके दुष्प्रभाव के परिणाम रूप में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अधिकांश लोगों ने ईश्वर को एक जादूगर और चमत्कार के रूप में ही मान लिया है। अपनी-अपनी कल्पना के अनुसार अपने मन में ईश्वर का रूप बना लिया है और अपने स्वार्थ के लिए लोगों को मनवाने के लिये अहंकार और पाशविक शक्तियों का सहारा बनाया और इस प्रकार से पूरे विश्व में हिंसा और अशांति के वातावरण को ब्याप्त करने में सहायक बने हैं।

हमारे शरीर की जिस प्रकार से रचना हुई है उसमें तीन तत्वों का

प्रमुख हाथ है। इस शरीर का अपना बेलग विज्ञान है जिम्की अग्रती शारीरिक इच्छाएँ और आवश्यकताएँ या अस्तित्व को बनाये रखने के लिये पैदा है तथा मौसम के प्रकोप से बचने के लिये उसे मकान एवं वस्त्र चाहिए। जन्म का क्षुधा-पूर्ति के लिये भोजन चाहिये, इसी प्रकार मानव जीवन विकास के लिये तथा यौन पुष्टि के लिये उसे कामवासना की जरूरत होती है। मनुष्य केवल शरीर से ही नहीं बना है। शरीर के अतिरिक्त बुद्धि और मन दो ऐसे तत्व हैं जिसके होने से मनुष्य मनुष्य लगता है। यही दो चीजे हैं जिससे मनुष्य अन्य पशुओं से भिन्न माना जाता है। बुद्धि के लिये ज्ञान का विकास, अध्ययन एवं मनन आवश्यक है। शरीर और बुद्धि के असावा एक और ऐसी चीज होती है जिसे मन कहते हैं। इसके ही और शुद्ध रूप को आत्मा कहते हैं। इन तीनों—शरीर, बुद्धि और मन का विकास समुचित रूप से न होने पर तथा उनमें सन्तुलन न होने पर मनुष्य के जीवन में एक खालीपन आ जाता है तथा जीवन में समरसता नहीं रहती। शरीर को स्वस्थ रखने के लिये शारीरिक परिश्रम एवं व्यायाम जरूरी होता है तथा बुद्धि के विकास के लिये ज्यादा चिन्तन और मनन की जरूरत होती है। मन और आत्मा के विकास के लिये अध्यात्म की आवश्यकता होती है जिसे रहानियत भी कहते हैं। मन को एकाग्र करना जरूरी है ताकि वह चंचल होकर भटकाव की स्थिति में न रहे। जीवन में शान्ति के लिये भी एकाग्रता आवश्यक है। साथ ही जीवन के प्रत्येक क्षणों में तथा प्रत्येक काल में आत्म-विश्वास की भावना की आवश्यकता है। अगर आत्म-विश्वास नहीं हुआ तो आदमी कोई भी काम नहीं कर सकता। आत्म-विश्वास के साथ ही साथ इच्छा-शक्ति और संकल्प-शक्ति भी जरूरी है। अतएव एकाग्रता, आत्म-विश्वास, मानसिक शान्ति, संकल्प-शक्ति यह सब मन और आत्मा के गुण हैं जिनका मात्र शिक्षा और अध्ययन से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। इनका सम्बन्ध अध्यात्म से है। इन सब गुणों के साथ ही साथ चित्त बुद्धि, मन का हस्कापन भी बहुत जरूरी है। इन गुणों के विकास के बगैर आदमी की जिन्दगी मुसीबत और परेशानियों की जिन्दगी होगी तथा उसे सुख और शान्ति नहीं मिलेगी, तथा वह नाना प्रकार से अपने द्वारा ही पैदा किये हुए उलझनों के जाल में उलझकर रह जायगा। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिये व्यायाम की आवश्यकता होती है तथा बुद्धि के विकास के लिये शिक्षा की जरूरत होती है, उसी प्रकार इन गुणों—मन एवं आत्मा के विकास के लिये अध्यात्म की आवश्यकता होती है। अध्यात्म का

सम्बन्ध योग अध्ययन, चित्त शुद्धि तथा जीवन-मूल्यों की सही उपलब्धि से है। अध्यात्म का कोई सम्बन्ध पूजा-पाठ से नहीं है, न रूढियों से है और न अन्ध-विश्वास के अनुसार काम करने से ही। यह रूढियाँ एवं प्रक्रियाएँ हर व्यक्ति के लिये हर युग में बदलती रही हैं।

अक्सर यह प्रश्न उठता है कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं? वास्तव में जब यह प्रश्न उठाया जाता है तब यह मान लिया जाता है कि ईश्वर अर्थात् ऐसी ताकत है जो चमत्कारों के आधार पर काम करे और सब तरफ दुनिया में इन्सान की निजी जिन्दगी में सहयोग अथवा हस्तक्षेप करे। मैं समझता हूँ कि इस विवाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी कोई चमत्कारिक शक्ति होती है अथवा नहीं। कम से कम हमारी रोजाना जिन्दगी में पूजा-पाठ करने वाले भक्तों के बीच में भी इस प्रकार के ईश्वर का प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं होता। इंगलिये फिज़ूल के भ्रम में पड़कर कि कोई चार हाथ वाला चक्रसुदर्शनधारी ईश्वर होता है अथवा नहीं, जीवन का वास्तविक क्या सध्य है इस दिशा पर हमारा चिंतन होना चाहिये। जीवन को सुखी बनाना है और सुखी बनाने के लिए हमें दुःखों से मुकाबला करना है। एक प्रकार का मुकाबला तो यह है कि जिन कारणों से दुःख उत्पन्न होता है वह कारण न होने दिया जाए। जैसे, शरीर को भूख लगती है तो उसके लिए भोजन की मुचार्थ व्यवस्था हो। सिर पर साये की जरूरत होती है तो उसके लिए अच्छा सुरक्षित एवं आरामदेह मकान की व्यवस्था हो। बीमार पड़े तो अच्छी से अच्छी दवाई हो जाए तथा इस प्रकार की कोशिश है कि आदमी बीमार ही न पड़े। मनुष्य के शरीर की जितनी इन्द्रियाँ हो सकती हैं उन सबको संतुष्ट करने के लिए अधिक से अधिक उपाय निकाले जाएँ। तथा मनुष्य की समस्त शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति उम्दा ढंग से हाँ सके इसकी कोशिश की जाए। विज्ञान ने पृथ्वी की शताब्दियों से लेकर आज तक आशातीत प्रगति की है। जिन सुख-सुविधाओं की पहले कल्पना नहीं की जा सकती थी उन सुख-सुविधाओं को भोगने में मानव समर्थ हो सका है। १५-२० हजार मील का फासला वह कुछ घण्टों में ही तय कर लेता है। आसपास आग लगती गरमी पड़ रही हो तो भी वह अपने आप को हिमालय की ठण्डक में बनाए रख सकता है। जब इच्छा करे और जैसा भोजन, वस्त्र आदि वह प्राप्त करना चाहे उसे उपलब्ध हो सकता है लेकिन इसके बावजूद भी क्या यह कहा जा सकता है कि

आदमी पूर्ण हो सका है तथा उसे अब किसी प्रकार का दुःख नहीं है। अमेरिका और यूरोप के देश भौतिक उन्नति की दिशा में कितना आगे बढ़ गये हैं यह भारत के गाँव में बैठे हुए एक गरीब को कल्पना भी नहीं हो सकती। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि उस शोषणवासी गरीब को कुछ मामलों में जितनी शांति है और उसके जीवन में जो सुख है वह विज्ञान की दुनिया में चारों तरफ से घिरे हुए भौतिकता के ऐश्वर्य में अपने आप को बन्धक रखे हुए एक आधुनिक नागरिक को उपलब्ध नहीं है। कारण यह है कि शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुख की अनुभूति तो हो सकती है किन्तु तृप्ति नहीं। शरीर एक माध्यम है तथा भोगने वाला मन है। यदि मन में अशांति है तो सारे सुख-साधन सामने रहने के बाद भी सुख न पहुँचाकर दुःख ही पहुँचायेंगे। मन में यदि आत्म-विश्वास और संकल्प-शक्ति की कमी है तो तिल का टुकड़ा भी पहाड़ मालूम पड़ेगा, तथा जीवन का हर घटनाक्रम भयावह हो जायेगा। उसी प्रकार यदि हृदय में ईर्ष्या की आग जल रही हो या तात्कालिक घटनाओं से मन को ऊपर उठाने और एकाग्र करने की कला आदमी को न मालूम हो तो घर में रोता हुआ बालक भी व्यक्ति को विचलित कर सकता है। शंकराचार्य की माँ की मृत्यु होने से उन्हें यह महसूस हुआ कि अब उन्हें ईश्वर की उपासना के लिए पूरा समय मिलेगा और मोह का एक अटकाव जो उनके लिए कुछ दूरी तक था वह अटकाव भी समाप्त हो गया। वस्तुतः सुख भोग के पदार्थों में नहीं, भोगने वाले के मन में है। अच्छी से अच्छी स्नादिष्ट वस्तुएँ, ५६ रस के ध्वंजन सामने रखे ही और किसी ने खाने वाले को उसके सहकें की मृत्यु की खबर दे दी हो तो वह सारी स्नादिष्ट वस्तुएँ उसे जहर के समान लगेंगी जो साधारण स्थिति में उसके लिए अमृत सरोचे होते। आज संसार में अधिकतर विग्रह, अशांति और हिंसा सब कुछ इसलिये है कि हमारे मन में अधिक से अधिक संग्रह करने की छानसा है, ज्यादा से ज्यादा सोगी पर, सम्पत्ति पर तथा भूमि पर अधिकार रखने की भावना है तथा अपने अलावे दूसरे की उन्नति में सुख-समृद्धि बर्दास्त न कर सकने की भावना है। इस सब पर जब तक काबू नहीं पाया जायेगा तब तक ऊपर से संसार बितना ही सुभावनता और अच्छा न बना दिशा जाये इन्सान की जिन्दगी में सुख या आनन्द नहीं आ सकता और न मनुष्य पूर्णता की ओर जा सकता है। गीता में इसलिये इसे अनासक्ति योग के रूप में कहा है। अलग-अलग विचारकों ने

गीता को अलग-अलग दृष्टि से देखा है। शंकराचार्य ने जहाँ इसे सांख्य योग के रूप में देखा है, वहाँ लोकमान्य तिलक ने कर्मयोग बताया है। गाँधी जी ने इसे अनासक्ति योग का नाम दिया है तो विनोबा जी ने इसे साम्म योग कहा है। कछुवा का बहुत सुन्दर उदाहरण है। कछुवा जब अपने चारों तरफ निरापद रथान देखता है तो वह अपने हाथ-पैर बाहर निकालकर बड़े इतमिनान से दौड़ लगाता है लेकिन कहीं किसी ने थोड़ा सा ककड़ उठाकर फेंक दिया तो वही कछुवा अपने सारे हाथ-पैर समेटकर अपने सुरक्षा की ढाल के अन्दर ही समा जाता है। हमारे मन की भी दशा ऐसी ही होनी चाहिये, जिसमें मनुष्य इस संसार में तो रहे, उसके भोगों को भी भोगे किन्तु उसके मन के तराजू का पडसा सन्तुलित ब बराबर रहे। वही इसे कबीरदास ने कहा है 'साधो सहज समाधि भली'। जहाँ कबीरदास जी चसते-फिरते हैं वह सब परिक्रमा होती है, जब सोते हैं तब दण्डवत करते हैं, जो कुछ बोलते हैं वह भोजन धारती होती है और जो खाते-पीते हैं वही पूजा है। कितनी व्यापक, उदार और वास्तविक कल्पना है।

और इसी में इस बात का भी उत्तर मिल जाता है कि जादू और चमत्कार वाले ईश्वर के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। बल्कि कुछ दिनों तक यह स्पष्ट मानने की आवश्यकता है कि ऐसे कोई जादू-टोने वाले ईश्वर नहीं हैं और न ही उसे मानने की जरूरत है। मनुष्य को शरीर, मन और आत्मा से स्वस्थ होना चाहिये, और सहज समाधि का ऐसा योग हो कि मनुष्य निरन्तर महसूस करे कि वह अमत्य से सत्य की ओर बढ़ रहा है, अन्धकार से प्रकाश की ओर जा रहा है और नश्वरता से अमरता की ओर बढ़ रहा है। जब इस सहज समाधि की अनुभूति उभरे होती है तो मनुष्य स्वयं इस स्थिति में आ जाता है कि वह दुःख और सुख से ऊपर उठकर जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है तथा शाश्वत जीवन के मानव-मूल्यों का सृजन और स्थापना उसके द्वारा होती है।

लेकिन आज धर्म और मजहब के नाम पर हमारे सामाजिक जीवन का तीन चौथाई से ज्यादा हिस्सा जग्न होता है, जबरन झूठे पूजा-पाठ होते हैं। बटुन से संतों और जगत गुरुओं की दुकानदारी होती है। मन्दिरों और मस्जिदों में अहंकारों और पाखंडी पतपते हैं और इस मूवमूरत दुनिया को कितना भद्दा, पिनीना बनाने की कोशिश हो रगती है इन घमों के नाम से

होगी है। और तो और आज इन धर्म के दुकानदारों के जरिये तमाम वे काम ऐलानिया किये जाते हैं जो जो इन्सानो जिन्दगी के लिये न केवल गैर-मुनासिब और गैर-वोजिब हैं बल्कि जिनके करने से इन्सानो जिन्दगी के खात्मा का सवाल खड़ा हो गया है। और इस प्रकार के धर्म और मजहब और चमत्कारी देवी और देवताओं की हमारी जिन्दगी में क्या जरूरत है? इस बात का यदि गुणा-भाग किया जाय कि इस प्रकार के धर्म-मजहब और चमत्कारों से कितना लाभ हुआ है और कितना नुकसान हुआ है तो साफ जाहिर होगा कि लाभ के नाम पर केवल भ्रम और अहंकार ही फैला है और हानि के नाम पर यह खूबसूरत और अच्छी भली दुनिया हर प्रकार से बर्बाद हो रही है, नष्ट और भ्रष्ट हो रही है। मैं जब इस प्रकार का कोई आयोजन देखता हूँ कि जहाँ धर्म, पंथ और मजहब के द्वारा यज्ञ, मेले, जलसे और जुलूस का आयोजन होता है तो मुझे उसके भीतर एक भयानक जाल-सात्री और दुकानदारी की गन्ध आती है और ऐसा लगता है कि इस सडाध से आदमी को कैसे और कितनी जल्दी बचाया जा सके, क्योंकि उसमें अध्यात्म की सरलता और पवित्रता नहीं होती। ऐसा धर्म जो हमारे जीवन में आचरण की शुद्धि न लाये, मन में सरलता न पैदा करे तथा रोजाना की जिन्दगी में हमारे आसपास और समाज के लोगों के प्रति उनके दुख-दर्द में शामिल होने की भावना न पैदा कर सके उसे धर्म न कहकर अधर्म ही कहना उचित होगा। राम और रावण में झगड़ा किस बात का था। राम तो क्षत्रिय थे और रावण ऊँचे कुल के ब्राह्मण थे। इसके अतिरिक्त रावण बहुत विद्वान, विज्ञानी एवं साधन-सम्पन्न था। किन्तु ब्राह्मण पुत्र रावण की सभ्यता और संस्कृति को राक्षस की सभ्यता और संस्कृति माना गया है और राम जिन्होंने अपना रात्र-पाट छोड़ा तथा जंगल में भटकते रहे और गिरिजनों तथा हरिजनों के बीच में रहे, उन्हें देवता की उपाधि से विभूषित किया गया। मेरा ऐसा क्या है कि यदि गणना की जाय तो धर्म-कर्म में जुटे हुए ६० प्रतिशत लोग आज रावण की संस्कृति के ही वंशज हैं और राम से उन्हें कुछ लेना-देना नहीं है। वह मुँह से केवल राम का नाम भर लेते हैं।

आदमी तो सब दुनियादी तोर पर एक ही हैं। अलग-अलग देश तथा जलवायु आदि में पैदा होने पर उनके पूर्वजों ने जो मान्यताएँ बना ली उस कारण वे एक जाति विशेष से सम्बोधित किये जाने लगे। मुझे तो कभी नहीं महसूस होता कि एक ब्राह्मण या क्षत्रिय में या एक

ईसाई में उसके शरीर, मन तथा बुद्धि के बनावट में बुनियादी कोई अन्तर है। जो कुछ भी अन्तर है या भेद पैदा हुआ है वे इन आदमियों ने, हमारे समाज ने तथा हमारी व्यवस्था ने जबरन उन पर थोप दिया है और वह अपने माथे पर एक झूठा साईन बोर्ड लेकर चलता फिरता है कि मैं हिन्दू या मुसलमान हूँ या ईसाई हूँ। जबकि बुनियादी तौर पर वह मात्र एक आदमी है जिसे हर आम आदमी के समान भूख लगती है, प्यास लगती है, सेक्स की भी आवश्यकता होती है। इस सहज एकात्मकता को न समझ कर धर्म-कर्म का झूठा फरेब इन मजहब वालों ने छाज पैदा किया हुआ है और इस बात की जखुरत है कि दुनिया से मजहबपरस्ती की भावना को खत्म करने का संकल्प किया जाए। मजहब और—ये चमत्कारी भगवान संसार के सबसे बड़े पादांड हैं। जितनी जल्दी इस सत्य को समझा जा सकेगा उतनी ही जल्दी विश्व का कल्याण होगा।

हमारे देश हिन्दुस्तान में जहाँ ४० करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं वहाँ उनको रोजगार न दिलाकर धर्म का अफीम पिलाया जाये और भगवान के नाम पर उनको लोगो का अत्याचार सहने के लिये धैर्य रखने हेतु भजन कीर्तन सुनाया जाए इससे और बड़ा पाप इन्सानियत के लिये कुछ नहीं हो सकता है। मेरा ऐसा अन्दाज है कि अगर यह बता दिया जाय कि चमत्कार का भगवान से सम्बन्ध नहीं है तो आधे से ज्यादा लोग धर्म-कर्म छोड़कर घर बैठ जाएंगे क्योंकि वे लोग भगवान को मानते ही इसलिये हैं कि भगवान से उन्हें कुछ हासिल हो सकता है। जब हासिल ही नहीं हो सकेगा तो मानने का प्रश्न ही नहीं उठता।

यह पंजाब का झगडा, हिन्दू और सिखों के बीच का विवाद, उसी प्रकार से एक जाति से दूसरी जाति का झगडा सब व्यर्थ है। कितनी ताकत इसने धर्च होती है तथा इन सबका लम्बोलबाव क्या है, क्या हासिल होना है इससे ? गुरु ग्रन्थ पढ़ने वाला भी उतना अच्छा हो सकता है जितना गीता और कुरान पढ़ने वाला और उतना ही दुष्ट हो सकता है जितना कि अन्य मजहब वाले। कवि नीरज ने १०० पीसदी सही कहा है कि "कर्मसांड से यदा धर्म है, और धर्म-कर्म से बड़ा कर्म है। लेकिन सयत्त बड़ा वहाँ एक छंटा सा इंसान है, और अगर वह प्यार करे तो धरती स्वर्ग समान है।"

वैधानिकता और नैतिकता

पुराणों में न्याय को धर्म की संज्ञा दी गई है। समाज व राष्ट्र का धारण जिन नियमों के आधार पर होता है उसे ही आमतौर पर ऋषियों ने धर्म माना है। शासन द्वारा उद्घोषित जिन नियमों के पालन को बाध्यता होती है वह विधान है तथा समाज में प्रचलित सामान्य मान्यताएँ जिन्हें स्वयं अनुशासन से माना जाना चाहिये वे नैतिकता के आधार स्तम्भ होती हैं। बहुधा वैधानिकता एवं नैतिकता एक-दूसरे के समर्थक व पूरक होते हैं, किन्तु बदलती हुई आवश्यकताएँ, मान्यताएँ तथा सामाजिक परिवेश से जहाँ एक ओर राष्ट्र के विधान परिवर्तित होते हैं, वहीं नैतिकता भी युग-बोध के आधार पर अपने स्वरूप को बदलती रह सकती है। अनेक अवसरों पर वैधानिकता तथा नैतिकता में किन्हीं कारणों से विरोधाभास भी परिलक्षित होता है।

मारिस गिम्सबर्ग ने अपनी पुस्तक 'On Justice in Society' में कहा है कि "Systems of law which have grown up slowly in response to social needs embody relations between law and morals, different from those systems imposed from without at the command of conqueror. Systems in which law, ethics and religion are closely interwoven as in the law of Islam, differ from secularized systems and in these again the impact of moral opinion on law varies with the type of political structure and the influence of public opinion on legislation."

न्याय व विधान सत्य व धर्म पर आधारित होते हैं। यह धर्म, किसी

जाति विशेष का, या साम्प्रदायिकता पर आधारित नहीं, अपितु युग की जनहित के सिद्धांत पर उनकी आवश्यकताओं पर ही आधारित होता है। 'बहुजन सुखाय बहुजन हिताय' इस वैधानिकता की आधारशिला होती है। "धर्मोः विश्वरूप जगतः प्रतिष्ठा" जगत की प्रतिष्ठा को अधिष्ठापित करते हुए उसे विश्वरूप देने का प्रयास ही लक्ष्य हो सकता है। प्रोफेसर पॉटर ने कहा है कि— "न्याय सत्य का ही रूप है परंतु न्याय अथवा वैधानिकता के ही विविध स्वरूप हैं। परिणामस्वरूप इस न्याय के विविध पहलू हो गये हैं, यथा—सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, प्रजातान्त्रिक न्याय, नैतिक न्याय तथा इसके उपरांत भी और अन्य स्वरूप भी हैं।"

आज के युग में हमारे देश में, न्याय अथवा वैधानिकता, उसके सही सामाजिक परिवेश में समझना अत्यंत आवश्यक है। प्रोफेसर 'पॉटर' ने पुनश्च कहा है कि "In this world there has been untold sufferings caused by man's injustice to man." मार्टिनेसफील्ड के अनुसार "स्वतन्त्रता ही वैधानिक शासन के अन्तर्गत रहने का अधिकार है। हमारे संविधान में भी मूलभूत नागरिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। विचारों की स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, सम्पत्ति व व्यवसाय की स्वतन्त्रता, धर्म व मजहब की स्वतन्त्रता। लेकिन हमें युग सन्दर्भ में, इस स्वतन्त्रता का आशय भली-भांति समझ लेना होगा।"

मनुष्य द्वारा अपने ही ऊपर स्वयं, अपने प्रतिनिधियों एवं शासन द्वारा लगाये गये बन्धन व अनुशासन ही विधान हैं तथा तदनुसार उनकी व्याख्या न्याय है। यदि हम चाहते हैं कि हम पर हिंसा-प्रहार न हो, हम सुरक्षित रहें तो निश्चित रूप से हम पर अंकुश आवश्यक है कि हम दूसरों पर हिंसा न करें तथा दूसरों को सुरक्षित रखें। यदि हम चाहते हैं कि हम मूछे और बेरोजगार न रहे तो हमें यह देखना होगा कि समाज में कोई भ्रूषा और बेकार न रहे। यदि हम चाहते हैं कि समाज में हमारा शोषण न हो, तो हमें किसी भी रूप में समाज व किसी अन्य व्यक्ति का किसी भी रूप में शोषण बंद करना होगा। यदि हम चाहते हैं राज्य हमें परिवहन व्यवस्था, शिक्षा, चिकित्सा व अभाव से मुक्ति दिलाये तो शासन के अनुदेश का पालन निर्विवाद रूप से करना होगा तथा कर अपवर्धन का कठोरतापूर्वक मुकाबला करना होगा। मेरे केरे के सिद्धान्त आज के समतावादी युग में अपने आप गलत सिद्ध हो

गया है। यदि समाज में सुख-शान्ति व समृद्धि चाहिये तो वह सबके लिये होगा। उसमें व्यक्ति-व्यक्ति के बीच भेदभाव न तो सम्भव है और न आवश्यक। एक व्यक्ति के पास लाखों व्यक्ति की रोटी तिजोड़ी में कैद हों, तथा लाखों व्यक्ति बिना रोटी के रहें यह किसी भी न्याय के तराजू में नहीं तोला जा सकता। जो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की बात करते हैं और वैधानिकता को इसी दृष्टि से देखते हैं उन्हें सामाजिक और राष्ट्रीय परिप्रक्ष्य में इन मूल्यों को देखना होगा। एक व्यक्ति के हित के लिये, समाज तथा राष्ट्र के हित का बलिदान न वैधानिकता के अन्तर्गत सम्भव है न ही नैतिकता के अन्तर्गत मान्य है।

अक्टूबर १९७३ में शांति शक्तियों के विश्व सम्मेलन में मैं भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। सर्वप्रथम मेरी भेट तत्कालीन भारतीय राजदूत श्री शेलवनकर से हुई। इस पहली बार गया था। मन में अनेक धारणाएँ व आशंकाएँ थीं। कहा जाता था कि रूस लोह आवरण का देश है। यहाँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नहीं है। मैंने यही प्रश्न भारतीय राजदूत से दुहराया। उन्होंने कहा कि लोह आवरण आपको बही दिखा क्या? उत्तर निश्चित रूप से नकारात्मक था। उन्होंने कहा कि यदि राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को व्यवसाय प्राप्त करने की स्वतन्त्रता, भ्रूष व अभाव पर विजय प्राप्त करने की स्वतन्त्रता, शिक्षा, न्याय और निःशुल्क चिकित्सा प्राप्त करने की स्वतन्त्रता, रोटी, कपड़ा और मकान प्राप्त करने की स्वतन्त्रता, जीवन की विविध विधाओं को उसके समुन्नत शिखर पर पहुँचाने की स्वतन्त्रता को आप स्वतन्त्रता मानते हैं तो वह रूस में पूर्णरूपेण विद्यमान है। परन्तु यदि आप हाट-बाजार, चौराहों व चौपालों में अपने कंठ के उच्चतम स्वर से अराजकता व अनुशासनहीनता उत्पन्न करते हुए गाली-गलौज करने को आप स्वतन्त्रता मानते हैं, तो यह निश्चय ही रूस में नहीं है। कुछ लोगों के स्वार्थ को समाज व राष्ट्र का स्वार्थ नहीं माना जा सकता।

वैधानिक राष्ट्र निर्मित होता है राष्ट्र तो परे नहीं। यदि संविधान की कोई धारा राष्ट्रहित में बाधक है तो उसे राष्ट्र 'अनुहूत' बना सेना ही समर्थित नैतिकता होगी, तथा इसके विपरीत आचरण करना ही अनैतिकता है। हमने अनुभव किया है कि समय-समय पर नैतिकता की मान्यताएँ बदलती रही हैं। एक युग था जब 'यहू-परनी प्रथा' सर्वथा नैतिक था। एक राजा की

सैकड़ों रानियाँ थीं, किन्तु आज इस स्थिति की कल्पना करना भी घृणित माना जाता है। पहिले नव-वधू को आशीर्वाद दिया जाता था कि दूधो नहाओ और पूतो फलो। एक के इक्कीस हो। किन्तु 'हम दो और हमारे दा' के इस युग में पुरानी मान्यता न केवल हास्यास्पद हो गई है, वरन् दुखद भी है।

जो राष्ट्र 'बहुजन सुखाय बहुजन हिताय' विधान बना सकने में पिछड़ते हैं वहाँ अराजकता, विघटनवाद, हिंसा, अशांति व शोषण का तांडव नृत्य होता है। परिणामस्वरूप ऐसे राष्ट्र नव साम्राज्यवादियों के षड्यंत्र के दा तो शिकार हो जाते हैं अथवा प्रतिगामी शक्तियों की फासिस्ट मनोवृत्तियों के भँवर-जाल में उलझ जाते हैं।

अक्सर प्रगतिशील वैधानिकता व उलझी हुई क्रांतिपूर्ण नैतिकता में विरोध प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ता है। कई बार समाज का प्रतिक्रियावादी तत्त्व मरी हुई बदरिया की भाँति टूटी हुई नैतिकता का बोझ ढोते रहता है और राष्ट्र धर्म की आवश्यकता को न्याय तथा वैधानिकता विरोधी भी कहता है। लेकिन चरम सरय चाहे वह सुकरात का हो, चाहे गाँधी का, परम्परागत प्रतिक्रियावादियों का विरोध भाजन बना ही है।

जब हम प्रतिनिधिकरण शासनतन्त्र तथा प्रजातन्त्र व उसके विधान को स्वीकार करते हैं, तब बदलते सामाजिक परिवेश व सामाजिक तथा आर्थिक न्याय तथा सबके सुख व समृद्धि के लिये, अनुशासन व बन्धन को भालना होगा, तथा वहीं वैधानिकता व नैतिकता का सहज, सुन्दर, शिवमय समन्वय होता है जो आवश्यक है, विशेषकर, उस राष्ट्र के लिये जो प्रजातन्त्र के माध्यम से विधानों के अन्तर्गत समतावादी समाज की स्थापना करते हुए धर्म-निरपेक्षता, सामाजिक व आर्थिक न्याय देने हेतु कटिबद्ध व वृत्त-संकल्प हैं।

ब्राह्मण, सावधान !

ब्राह्मण वर्ग के विरुद्ध समाज में व्याप्त असन्तोष अभिजात्य वर्ग के विरुद्ध विद्रोह की भावना के फलस्वरूप इन दिनों विशेष रूप से व्याप्त है। यह विद्रोह अकारण नहीं है। हिन्दू समाज में वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों को सबसे ऊँचा और महत्त्व का स्थान प्राप्त था। इसका कारण यह है कि ब्राह्मण उच्च संस्कारयुक्त होकर अपने को ज्ञान-मंडित करते हुए ज्ञानदान एवं समाज की सेवा का कार्य करते थे। अब वह स्थिति नहीं है। सभी वर्ण के लिये वर्ण-व्यवस्था के सिद्धान्त के अनुसार जो कार्य निर्धारित किया गया था उससे वे विनम्र हो चुके हैं तथा वर्ण व्यवस्था का वह सिद्धान्त अब पाँधों में विमट कर रह गया है। ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य एवं शूद्र वर्तमान आर्थिक व्यवस्था के अन्तर्गत अपने मूल कार्य या धर्म से हटकर सभी लोग सय प्रकार का कार्य करने लगे हैं। केवल अपने-अपने वर्ण का अहङ्कार मात्र उनके पास शेष है। एक व्यवस्था के छिन्न-भिन्न होने पर दूसरी व्यवस्था के स्थापित होने के पूर्व की शून्यता एवं कुंठा समाज में विद्यमान है।

जन्म से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के सृष्टे दम्भ के कारण मात्र से ही समाज में अब उनकी प्रतिष्ठा बने रहने की सम्भावना कम ही है। वैसे भी कहा गया है कि "जन्मना जायते शूद्र. कर्मणा बध्यते द्विजः"। जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र उत्पन्न होता है तथा कर्म एवं संस्कारों से ही वह द्विज होता है। द्विज का अर्थ ही है—वह व्यक्ति जिसका दो बार जन्म हुआ हो। एक बार माँ के कोप से तथा दूसरी बार संस्कार धारण करने पर। इसी दृष्टि से यज्ञोपवीत संस्कार की स्थापना हुई थी। अब यह यज्ञोपवीत संस्कार मात्र औपचारिकता ही है तथा मृतप्राय रुढ़ि का किसी प्रकार में निर्वहन किया जा रहा है। ज्ञान और संस्कार की यात अगर बिलकुल मिट

नहीं गई है तो लगभग लुप्त हो गई है। अन्य दूसरे वर्ण के लोग ज्ञान और संस्कार उसी प्रकार से प्राप्त करने लगे हैं जिस प्रकार से ब्राह्मण पहिले अपने वर्णाधिकार के अन्तर्गत एकाधिपत्य की भावना से करते थे। वस्तुतः ज्ञान और संस्कार तथा कुलीन आचरण एक तरफ जहाँ ब्राह्मण वर्ण के लोग खोते जा रहे हैं वहीं दूसरी ओर दूसरे अन्य वर्ण के लोग उसे धारण करते चले जा रहे हैं। खोने और धारण करने के बीच जो नया युग-बोध उत्पन्न हुआ है उसके कारण समाज में असहिष्णुता और संघर्ष की भी स्थिति उत्पन्न हो गई है।

ब्राह्मण वर्ण के लोग केवल जन्म के आधार पर समाज में यदि प्रसूता स्थापित करने की आकांक्षा एवं कामना करते हैं तो वह मात्र धोखा प्रयास होगा। इसलिये वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालकर समाज के साथ सम्बन्ध स्थापित करना परम आवश्यक है। एक तरफ तो उच्च संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ अधिकार और दम्भ की भावना का दुराग्रह अपने स्थान पर कायम है। इस दुराभि-सधि के बीच आज ब्राह्मण वर्ण का अस्तित्व चुनौतियों का सवालिया निशान बन चुका है। अतः ब्राह्मण संस्कृतियों के समर्थकों को अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु गम्भीर विचार करना आवश्यक है। जहाँ एक तरफ नये युगबोध के प्रति उनमें सहिष्णुता की भावना उत्पन्न होना चाहिए वहीं दूसरी ओर ज्ञान, संस्कार एवं सेवा की भावना की जागृता एवं तदनुसार आचरण अत्यन्त आवश्यक है। आज समाज में ब्राह्मण ऐसा कोई दुष्टत्व नहीं करता है जो अन्य न करते हों। प्रमाद, मदिरापान, भ्रष्टाचार, कदाचरण आदि सारी बातें उसमें अन्य वर्णों की भाँति ही व्याप्त हैं। ब्रह्मज्ञान, आत्मदर्शन का बोध, समाज की प्रेरणा दे सकने का सामर्थ्य एवं समाज को समर्पित करने वाली सेवा की भावना, यह तो पहले मात्र की बात रह गई है। अतएव यदि ब्राह्मण वर्ण समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाये रखना चाहता है तो निश्चित रूप से उच्च विचारों और उच्च मंस्कारों को उसे धारण करना होगा एवं ऐसी स्थिति बनानी होगी जिससे यह समाज के लिये दार्शनिक चिन्तक एवं मार्गदर्शक का कार्य कर सके। यह बहुत ही बृहत्साध्य कार्य है तथा इसके लिये दृढ़ भावना एवं संकल्प-शक्ति की आवश्यकता है। समाज के वरिष्ठजन इन दिशा में समाज को अनुशासित करने में पहल कर सकें तो ही अच्छा होगा।

बौद्ध युग के प्रारम्भिक काल में ब्राह्मण संस्कृति के विरुद्ध श्रमण संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ था। ब्राह्मणों द्वारा दमन, हिंसा एवं वर्ग भेद की भावना से समाज में विग्रह उत्पन्न हो गया था। उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप दया, कृपा और अहिंसा की भावना से प्रेरित होकर भगवान् वर्धमान महावीर के पहिले तीर्थङ्करों ने समता व अहिंसा की भावना से जैन संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार किया था। तथा बहुत बाद में, आदि शङ्कराचार्य ने पुनश्च अपने ज्ञान एवं तपस्या के कारण सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की थी तथा भारत-वर्ष की चारों दिशाओं में चार धाम स्थापित किया था। अतः अब पहिली आवश्यकता तो यह है कि जमाने की बदलाहट को देखते हुए उच्च एवं कुलीन वर्ग के लोग समाज के अन्य वर्ग, खास तौर से जो दलित, पीडित और शोषित हैं उनके साथ सद्भाव, मैत्री एवं प्रेम का सम्बन्ध स्थापित करें। वर्ग-जन्य भेदभाव से अब किसी को इज्जत मिलने वाली नहीं है, बल्कि विनय-शीलता, मिलनसारिता एवं सेवा भाव से ब्राह्मण समुदाय को, जो अभी भी ज्ञान एवं संस्कार से सर्वथा विलग नहीं हुआ है, समाज में अगुवाई मिल सकती है।

इसके पहिले कि समाज के अन्य वर्ग के लोगों के साथ समभाव और मैत्री स्थापित हो यह भी परम आवश्यक है कि स्वयं ब्राह्मण समाज के विभिन्न श्रेणियों में एकता एवं भाई चारा की भावना बढे। अतः यह कार्य तभी सम्भव है जबकि छोटे-छोटे भेदभाव को समाप्त कर आपस में खानपान एवं विवाह आदि के सम्बन्ध स्थापित हो। कम से कम एक भाषा बोलने वाले जितने भी प्रकार के ब्राह्मण हो उनमें एकता अत्यन्त आवश्यक है। पहिले अलग-अलग अंचलों में रहने वाले ब्राह्मण अपने उन अंचलों के नाम से जाने जाते थे। सरयू के पार में रहने वाले सरयूपारंग, कन्नौज में रहने वाले कान्य-कुब्ज, पंजाब, राजस्थान तथा मेरठ के लोग गौड ब्राह्मण, बिहार में रहने वाले मैथिल तथा काश्मीर में रहने वाले मारस्वत ब्राह्मण के नाम से जाने जाते थे। वस्तुतः इनमें कोई बड़ा भेदभाव नहीं है। अपने धर्मस्व को कायम रखने की दृष्टि से ये सब अलग-अलग रहते रहे। हो सकता है कि पोड़ी बहुत व्यावहारिक शुद्धता एवं रक्त की शुद्धता से दृष्ट से यह अलगवा रहा हो। किन्तु अब जबकि संचार के साधनों एवं आवागमन के साधन बढ़ चुके हैं तथा मूल रूप से सभी ब्राह्मण एक हैं तो उनमें यह परस्पर भेदभाव सम्पूर्ण ब्राह्मण

समाज के अस्तित्व को ही खतरा पहुँचायेगा। वैसे भी रुद्धियों और कर्म-काण्ड का बन्धन समाज के उच्च एवं धनिक वर्गों के लिये तथा दूसरी तरफ समाज के गिरे तथा दुर्बल वर्ग के लिये कभी लागू नहीं रहा है। बीच का मध्यम वर्ग ही अन्धविश्वासों एवं रुद्धियों का दास रहा है तथा विभिन्न प्रकार की कुण्ठाओं में अपना जीवन वे व्यतीत कर रहे हैं। आज भी अत्यधिक आधुनिक, शिक्षित एवं धनिक वर्ग के लोग परस्पर एक-दूसरे से भिन्न-भिन्न प्रकार के वर्ग में विवाह सम्बन्ध स्थापित करते हैं तथा उमें मान्यता भी दी जाती है। संकीर्ण और सिमटा हुआ समाज जो कष्टकारी जीवन व्यतीत कर रहा है उसके लिये ही ये सब प्रकार के बन्धन हैं। इसलिये परम आवश्यक है कि एक व्यापक मंच तैयार किया जाय जिसमें सर्व-ब्राह्मण वर्ग एक साथ एकत्रित हो सके और उनमें रक्त का भी सम्बन्ध स्थापित हो।

भारतवर्ष की पुरानी परम्परा विश्व-बन्धुत्व की रही है। विश्व-बन्धुत्व की कल्पना एक आदर्श कल्पना अवश्य है किन्तु उसको अमली-जामा पहिनाने के लिये तथा राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिये कम से कम एक वर्ग के विभिन्न उन-वर्णों में एकता एवं भ्रातृ-भाव होना आवश्यक है। क्या इस बात को आज रुद्धियों एवं अहंकारों में घिरा हुआ अपने आपको बुद्धि-जीवी कहने वाला ब्राह्मण वर्ग विचार करने को तैयार है? यदि नहीं, तो अलग-अलग खेमों में बँटकर तथा अपनी संकीर्णताओं में रहकर उमका रहा-सहा अस्तित्व भी लोप हो जायगा।

इस विवेक एवं विचार-भूमि के आधार पर समाज में चन्द दूसरी खुर्गईयों की ओर भी सोचना होगा। क्या ब्राह्मण वर्ग में भी कृलीन एवं धनिक वर्ग के लोग अपने ही समाज के गरीब लोगों के साथ उदारतापूर्वक मेल-मिलाप करते हैं? उनके सुख-दुःख में शामिल होते हैं? क्या अवसर ऐसा नहीं होता कि एक जैसे आर्थिक स्तर के लोग चाहे एक ही जाति के क्यों न हो अपने ही आर्थिक स्तर के बीच में सम्बन्ध रखते हैं और अपने से हीन प्रकार के लोगों से सम्बन्ध रखने में उन्हें अपनापन महसूस नहीं होता है? यदि यही संकीर्णता रहेगी तो फिर समाज संगठन एवं मंच की उपादेयता समाप्त हो जाती है।

जहाँ एक ओर नये युग के अनुसार अपने को ढालकर समायोजन की भावना आवश्यक है वही समाज में व्यापक कुरीतियों एवं बुराईयों को भी

दूर करना जरूरी है। पृथ्वाष्ट्र की भावना, परदे की प्रथा, महिलाओं के प्रति उपेक्षा और अन्याय इन सबको समाप्त करना ही होगा। महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिये सभी अवसर देने होंगे तथा इस सम्बन्ध में मन में व्याप्त हीनता की ग्रन्थि को हमें दूर करना होगा। साथ ही शादी-व्याह तथा विभिन्न संस्कारों में दिखावे के लिये अनाप-शनाप खर्च करना भी रोकना होगा। ब्राह्मण समाज में विशेषकर कान्यकुब्ज समाज में दहेज की प्रथा का बहुत ही घुरा प्रभाव है तथा इस कारण बहुत से परिवारों में लडकी कुंवारी रह जाती है या जीवन में छोटी-मोटी भूल के कारण आत्म-हत्या करने के लिये उन्हें विवश होना पड़ता है। एक बहुत बड़ी चुनौती का प्रश्न इस माध्यम से हमारे सामने है। क्या दहेज की प्रथा को समाप्त करने के लिये संकल्प लेने के लिये समाज तैयार है? यदि नहीं, तो सुधार और उन्नति की सारी बातें व्यर्थ हैं तथा उनका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। इसके साथ ही समाज के दुर्बल वर्ग के लोगों के लिये सामाजिक उन्नति तथा शिक्षा का साधन जुटा पाना भी बहुत जरूरी है। समाज के धनी-मानी एवं उदार हृदय व्यक्तियों को इस सम्बन्ध में सामने आना चाहिए और समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति को ऊपर उठाने के प्रयास में लग जाना चाहिये।

यह आर्थिक युग है। इस दृष्टि से भी अब पुरानी मान्यताओं की दुहाई देते रहने से काम नहीं चलेगा। आर्थिक विकास एवं विभिन्न उद्योगों को धंगीकार करते हुए इस समाज को अपने आप आर्थिक सम्पन्नता की दृष्टि से भी स्थापित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिये। यदि उपर्युक्त सुझाव और भावनाओं के आधार पर विचार किया गया तथा उस दिशा में हो हमारे कदम बढ़े तो निश्चित रूप से जहाँ पूरे ब्राह्मण समाज में एकता एवं उन्नति की भावना आवेगी वही दूसरी ओर वे अपने समाज के माध्यम से उदार भावना से अन्य वर्ग के लोगों के साथ उदारता, समभाव तथा प्रेम की भावना पैदा कर सकेंगे तथा उससे सम्पूर्ण हिन्दू समाज में सद्भावना उत्पन्न होगी तथा स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकेगा।

भारतीय संसदीय जीवन के कार्य-कलाप

—कुछ सुझाव

भारत के सन्दर्भ में जब हम पिछले २५ वर्षों की ओर निगाह करते हैं तो संसदीय प्रजातन्त्र की बहुत सी उपलब्धियाँ निश्चित रूप से हमारे समक्ष आई हैं, लेकिन यह भी निर्विवाद है कि संसदीय प्रजातन्त्र और उसके अस्तित्व के लिये बड़ी विषम चुनौतियाँ, कई गम्भीर और विकट प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हैं। इस सन्दर्भ में गोष्ठियाँ और परिसंवाद निश्चित रूप से कई दिशा की ओर संकेत करते हैं, किन्तु जिस प्रकार से मेरे बहुत से मित्रों ने अपनी राय जाहिर करते हुए संसद या विधान सभाओं के समक्ष, या विधान सभाओं में हुई चर्चाओं की उपमोहिता के बारे में और उसकी तयकथित निरर्थकता के सम्बन्ध में अपनी राय जाहिर की है, कई परिसंवाद मात्र चर्चा और वाणी विज्ञापन के माध्यम बन गये हैं। बहुत जरूरी है कि ज्यादा गम्भीरता के साथ और उत्तरदायित्व के साथ इसे लिया जाना चाहिये। छेद यह है कि ऐसे परिसंवादों में हमारे संसदीय मन्त्री भी उपस्थित नहीं होते।

जैसा कि हिमाचल प्रदेश के मेरे मित्र श्री शांतानुमार ने अपनी चर्चा के अन्तर्गत यह कभी जाहिर किया था, यद्यपि बहुत सी सफलताएँ, संसदीय प्रजातन्त्र के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने के लिये, समस्याओं के निराकरण करने की दिशा में हमें मिली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सामान्य जन-जीवन में, लोक-समाज में बहुत-सी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, जिनके कारण संसदीय प्रजातन्त्र द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके बारे में एक संका की स्थिति उत्पन्न हुई है कि वे प्रभावी ढंग से जन-आकांक्षाओं की पूर्ति

करने के लिये या उनकी कठिनाइयों या समस्याओं को दूर करने के लिये कहीं तक और किस प्रकार से कारगर हो सकते हैं। यही कारण है कि अधिकांश तौर पर जन-जीवन में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे विचार सभाएँ हैं, संसद हैं, उनके सम्बन्ध में जिस प्रकार से उत्तरदायी राय जाहिर की जानी चाहिए, लोगों के मन में उस प्रकार की भावना नहीं है।

इसका बहुत कुछ कारण लोगों की गलतफहमी हो सकती है, और बहुत कुछ कारण बुनियादी तौर पर अपनी जगह सही भी है। वैसे भी आज लोकमानस में यह प्रश्न निश्चित रूप से उठ रहा है कि क्या संसदीय प्रजातन्त्र के अस्तित्व को किसी भी प्रकार का कोई संकट है अथवा नहीं। लोग सामान्य तौर पर यह महसूस करते हैं कि विधान सभाओं और संसद के माध्यम से, प्रजातन्त्रीय प्रक्रियाओं और प्रणालियों के माध्यम से, उनकी समस्याओं को पेश किये जाने के बावजूद, उनका उचित हल नहीं हो पाता है।

ऐसी स्थिति में जहाँ एक ओर हमें समाज में अराजक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, वहाँ दूसरी ओर ऐसे भी तत्व हैं, जो प्रजातन्त्र को भी धतूरे में डाल कर एक नई समस्या पैदा करना चाहते हैं। यह चुनौती बड़े रूप में हमारे सामने है, और मैं समझता हूँ कि केवल पच्चीस वर्षों के हमारे प्रजातन्त्रीय इतिहास की वजह से नहीं, बल्कि वर्तमान परिस्थितियों के सन्दर्भ में भी, हमारे लिए उस पर विचार करना बहुत जरूरी है।

विशेष तौर पर हम जो नीतियाँ विधान सभाओं और संसद के माध्यम से स्थापित करते हैं, जब उनको कार्यान्वित करने, उनको अमली जामा पहनाने का सवाल उठता है, तब दो प्रश्न बहुत जबरदस्त रूप में हमारे सामने आते हैं : पहला अक्षमता और दूसरा भ्रष्टाचार का। आज भारतवर्ष के जन-जीवन में इन दोनों सवालों को उछाल कर एक बहुत पेचीदा स्थिति पैदा की जा रही है। इसके पक्ष या विपक्ष में क्या मत हैं, मैं इस विवाद में नहीं पड़ता, लेकिन संसदीय प्रजातन्त्र की स्थापना और उसको ज्यादा मजबूत और कारगर बनाने का प्रश्न केवल उन लोगों के लिए महम नहीं है, जो जनता की ओर से चुन कर आते हैं, बल्कि स्वयं जनता के लिए सड़क पर चलने वाले साधारण

नागरिकों के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, जिनको प्रजातंत्र में यह अधिकार प्राप्त है।

हम सैद्धान्तिक चर्चाओं में अपने आपको चाहे जितना भी लिप्त रखें, उनमें चाहे जितना भी मशगूल रहे, लेकिन अगर हम संसदीय प्रजातंत्र के माध्यम से, विधान सभाओं और संसद के माध्यम से, ठीक ढंग से इसका कोई उपाय नहीं निकाल पाते हैं, तो बावजूद हमारी तमाम सदेच्छाओं और शुभकामनाओं के, बावजूद हमारी सदाशयता के, उस खतरे को उत्पन्न करने या साने के लिए हम सब गुनाहगार होंगे और इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। हमारे सामने यह चुनौती बहुत बड़े रूप में है।

इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि लेजिस्लेचर का, चाहे वह पार्लियामेंट के स्तर का हो और चाहे विधान सभाओं के स्तर का, नीतियों के निर्धारण, उनके कार्यान्वयन और प्रशासन पर प्रत्यक्ष और प्रभावी असर होना चाहिए। इसके क्या तरीके हो सकते हैं, इस पर विचार किया जाना चाहिए।

जैसा कि श्री हीरेन मुर्जी ने आज सुबह कहा है, विधान सभाओं या संसद में केवल टकराव का कनफ्रंटेशन की ही स्थिति पैदा करते रहने, या परस्पर पक्षगत वाग्मुद्ध में लगे रहने मात्र से हमारे कर्तव्यों की इतिथी नहीं हो जाती है। ठीक है, ऐसी स्थिति होती है, जहाँ सिद्धान्त होते हैं। सिद्धान्तों का ध्रुवीकरण होता है, और उसके अन्तर्गत जहाँ दलगत राजनीति के आधार पर प्रजातंत्र का विकास और उन्नयन होता है, वहाँ मतभेद होते हैं और विभिन्न मतों का समर्थन या विरोध होता है। उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, उसको हटाया नहीं जा सकता है।

लेकिन अगर विधान सभाओं या संसद में लोग केवल अपने वाक्-कोशल के द्वारा एक दूसरे के पक्ष में आरोप और प्रत्यारोप ही करते रहे, तो आज की जनता उससे संतुष्ट नहीं होगी। उनका इग वात से कोई सतोप नहीं होगा कि हमने दूसरे पक्ष की बया निन्दा की है और किम प्रकार उसको उधेष्ट कर रखा दिया है, या दूसरे पक्ष ने किस प्रकार हमारी निन्दा या भर्त्सना की है। आज अपने जीवन से सम्बन्धित ऐसे बहुत से प्रश्न हैं, जिनको वह अधिक दिन तक टाल नहीं सकती है।

जब लोग महसूस करते हैं कि कानूनी और प्रजातांत्रिक तरीके से सब

प्रकार की पहल करने के बावजूद उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है, उनकी समस्याओं का हल नहीं मिलता है, तो अनेकों बार वे मजबूरी में गैर-संवैधानिक या हिंसात्मक कार्यवाहियों पर उतारू होते हैं। इसलिए जो हिंसा, अशांति की घटनाएँ होती हैं, उसके लिए केवल यह दोषारोपण करके कि कुछ तत्व हिंसा पर आमादा हैं, हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होते हैं।

संसद के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हमारे बहुत से विद्वान् मित्रों ने, जो पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, बहुत अच्छे ढंग से संसद की परम्पराओं और समस्याओं पर, और उसकी प्रक्रियाओं में क्या सुधार हो सकते हैं, उस पर अपनी राय दी है। हाँ, विधान सभा का सदस्य होने के नाते मुझे निश्चित रूप से यह महसूस होता है कि जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति, और प्रजातंत्र को ज्यादा ताकतवर बनाने की दिशा में अभी विधान सभाओं में बहुत कुछ कार्यवाही की आवश्यकता है। वहाँ कई बार महज खानापूरी होकर रह जाती है। यह माना हुआ सिद्धान्त है कि प्रजातंत्र के अन्तर्गत हमारी विधान सभाओं को कार्यवाही परम्पराओं, चर्चा, विचार-विमर्श और परामर्श के माध्यम से ही चलाई जा सकती है। लेकिन अगर हम इन पन्चीस वर्षों का लेखा-जोखा करें, तो क्या हम महसूस करते हैं कि हमारी विधान-सभाओं में जो नियमानुकूल प्रक्रियाएँ हैं, क्या हम उनका भी सही तौर पर पालन करते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि राज्य विधान सभाओं में विभिन्न विभागों की माँगों पर बराबर चर्चा हो पाती हो।

एक मंत्री के पास दस-दस विभाग होते हैं, बहुत से विषय होते हैं, अहम मसले होते हैं। क्षेत्रों की समस्याओं की बात छोड़ दीजिए, लोग अपने क्षेत्रों में क्या विकास चाहते हैं, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन इन विभागों की कुछ मौलिक समस्याएँ होती हैं, जिन पर चर्चा होना बहुत आवश्यक होता है और उन दस-दस विभागों के लिए केवल तीन-चार घण्टे का समय मुकर्रर किया जाता है। इन तीन चार घण्टों में एक घण्टे का समय शासन के लिये होता है, बाकी समय में विभिन्न पार्टियाँ होती हैं। अब किसी वक्ता को पाँच या दस मिनट में उन माँगों के संबंध में अपने विचार जाहिर करने के लिए कहा

जाय, तो यह बिल्कुल असम्भव होता है। अगर हम अपने प्रजातंत्र को ताकत-वर बनाना चाहते हैं, अपनी संवैधानिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं तो उसका यह तरीका कभी नहीं हो सकता।

हमने देखा है कि राज्यों में बहुत से विभागों की माँगें तो बिना किसी चर्चा के ही गिलोटिन हो जाती हैं। ऐसा क्यों होना चाहिए? जब लेजिस्लेटर्स जनता के द्वारा दो गई निधि से घुंठन पाते हैं, समय देते हैं, तो मेरा यह निश्चित मत है कि अधिक से अधिक समय तक विधान सभाओं की बैठकें होनी चाहिए और कम से कम ६० दिन की सिटिंग्स तो साल में होनी हो चाहिए, बल्कि मेरी राय में तो इससे ज्यादा समय हानी चाहिए और जिस समय विधान सभाओं की बैठकें नहीं होती हैं, उस समय कमेटियों की बैठकें होनी चाहिए। कमेटियों की बैठकों का स्वरूप आज की वर्तमान परिस्थितियों में, बदले हुए सन्दर्भ में, बदलना चाहिए। औपचारिक बैठकों से काम नहीं चलेगा।

विभिन्न विभागों की परामर्शदात्री समितियाँ होती हैं, उनमें क्या होता है? मिनिस्टर उसके अध्यक्ष होते हैं, वैसे अध्यक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। मंत्री मन्त्रोदय अपने परामर्श के लिए आठ-दस विधायकों की कमेटी बना लेते हैं। पार्लियामेंट में भी इसी प्रकार से होता है। साल में एक या दो मीटिंग्स होती हैं। उनमें विभिन्न सब्जेक्ट्स होते हैं, सामान्य चर्चाएँ होती हैं और उन सामान्य चर्चाओं के आधार पर यह भी आवश्यक नहीं होता कि उनको कार्यरूप में परिणित किया जाय। मैं समझता हूँ कि इसके स्वरूप का बदलना चाहिए। स्वामी समितियाँ या परामर्शदात्री समिति सरकार की न हाकर विधान सभाओं की बननी चाहिए। ये परामर्शदात्री समिति जितने भी महत्वपूर्ण विभाग हैं उनकी अलग-अलग बननी चाहिए और उनमें मिनिस्टर एक मेम्बर की हैसियत से आये। उसका समावृत्ति विधान सभा का जो वरिष्ठ सदस्य हो या जिसको अनुभव हो, उसको बनाया जाना चाहिए और उसकी मीटिंग कम से कम महीने में एक बार हो और जितने महत्वपूर्ण विषय हैं, वे विषय उनमें अवश्य आने चाहिए।

चूँकि आज हम अपने पिछड़े कार्य-कलापों का सिद्धान्तोक्तन कर रहे हैं तो अस्तर यह भी अनुभव होता है—मैं सभी विधान सभाओं के बारे में नहीं

बह सकता, लेकिन जिनकी मुझे जानकारी है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ—बहुत से निगम हैं, ऐसी संस्थाएँ हैं, जैसे सतर्कता आयोग, लोकसेवा आयोग, जन उपक्रम हैं, इस प्रकार की अनेकों महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं, जिनके बजट हम विधान सभा में पारित करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से मौके आते हैं कि या तो उन पर बहुत ही सरसरी तरीके से चर्चा होती है, आधा घण्टे, एक या दो घण्टे की चर्चा हो जाती है या वहाँ गुजर जाते हैं, कभी कोई चर्चा का मौका हो नहीं आता है। राज्यों में जो लोक सेवा आयोग होते हैं अक्सर वे बहुत सी अनियमितताओं की शिकार होती हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि वे जन चर्चा की शिकार होती हैं, अखबारों में उनकी चर्चा होती है, लेकिन जिन्हें उनके सम्बन्ध में कार्यवाही करनी है, उनके सामने कभी उनकी चर्चा ही नहीं होती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि हमें अपने नियमों में परिवर्तन, परिवर्धन या संशोधन इस प्रकार से करना चाहिये कि उन पर चर्चा हो सके और वह चर्चा केवल चर्चा मात्र ही न हो, बल्कि चर्चा से कुछ निष्कर्ष निकले, कुछ निर्देश हो, जिनके आधार पर आगे की कार्यवाही की जा सके।

एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है कि जो सूचनाएँ या पत्रसंघर्ष यहाँ से मिलते हैं, उनको देखने और पढ़ने का मुझे मौका मिला है। आज हमारे सामने एक बड़ा भारी मसला यह है कि प्रशासकीय एवं संसदीय विधान मण्डलियाँ दो पक्ष होते हैं। दरअसल औपचारिक रूप से शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि प्रशासन पर विधायकों का या विधान सभाओं का अक्रुश होता है, लेकिन व्यवहार में और अनुभव में यह आता है कि बात बिलकुल दूसरी होती है। जो प्रशासक होते हैं, वे प्रशासक—आज जो वस्तुस्थिति है उसके अनुसार—नीति निर्धारण का भी काम करते हैं। बहुत से स्थानों पर स्थिति यह है कि वे नीति बनाकर, निर्धारण करके, सामने रख देते हैं, गवर्नमेन्ट उसको 'हाँ' कर देती है और विधान सभा में उनकी पुष्टि हो जाती है, लेकिन उन पर कार्यवाही नहीं होती है। मैं आज यह सवाल उठाना चाहता हूँ—विधान सभा के सदस्यों या संसद के सदस्यों का प्रशासन में जो वास्तविक भागीदारी होना चाहिये, उनका कहीं भी किसी प्रकार कोई स्थान नहीं है। हम नीति बनाते हैं, योजनाएँ बनाते हैं, बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन जब होल में देखने जाते हैं तो कहीं भी किसी प्रकार का कोई भागीदारी विधान सभा के सदस्यों का या संसद के सदस्यों का नहीं होता। यह ठीक है कि जिलों में परामर्शदात्री

समिति होती है। मैं दूसरे राज्यों के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन मुझे अपने राज्य का अनुभव है। जिना सलाहकार समितियाँ होती हैं, लेकिन ये कमेटियाँ बिलकुल सलाह देने भर की होती हैं। कुछ राज्यों में कलेक्टर व कहीं अशासकीय व्यक्ति उनका सभापतित्व करते हैं। लेकिन इनके सभापतित्व करने से कुछ भी अन्तर नहीं पड़ता है। कहीं किस प्रकार की कार्यवाही होना चाहिये—कोई अन्तर नहीं पड़ता है। इसलिये मेरा ऐसा निश्चित मत है कि अब ऐसी स्थिति आनी चाहिए, इस पर चिन्तन किया जाना चाहिये, कि जो नौति का कार्यान्वयन होता है, उसमें संसद के सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों का भी हिस्सा होना चाहिये। उनका हिस्सा किस प्रकार से होगा, इसका निश्चित स्वरूप निर्धारण किया जाना चाहिये।

प्रान्तों के सिलेसिले में भी कुछ थोड़ी सी बातें में जरूर निवेदन करना चाहता हूँ—सबसे पहले तो अधिकार और प्राथमिकता के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। बहुत से ऐसे कार्य रखे गये हैं जो राज्य के विषय हैं, जैसे लोक स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जो जनसेवा के कार्य हैं। लेकिन जहाँ तक आय करने का सवाल है, इन दिनों हमने यह अनुभव किया है कि प्रदेशों के समक्ष कोई विशेष ज्यादा मुद्दे राजस्व अर्जित करने के नहीं रह जाते हैं, केवल भूमि राजस्व गाँव से सम्बन्धित मुद्दे होते हैं, जिनको बार-बार दोहरा करके वसूल कर सकते हैं। लेकिन उनको भी केन्द्र ने अपने जिम्मे ले लिया है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि इस पर विचार किया जाना चाहिये। बल्कि होना तो यह चाहिये कि शिक्षा और लोक स्वास्थ्य जैसे विषय पर फिर से पुनर्विचार किया जाना चाहिये। आज पूरे देश में इन मामलों में तरह-तरह की व्यवस्थाएँ चल रही हैं। मैं चाहता हूँ कि पूरे देश भर में एक तरह की व्यवस्था चले और केन्द्र इनको अपने जिम्मे लेकर कुछ ऐसी योजना खासकर सिंचाई और ऊर्जा से सम्बन्धित मामलों को—जहाँ अन्तर्राज्यीय विवाद है, वहाँ को बात में नहीं कहना चाहता हूँ, उनको केन्द्र अपने जिम्मे ले, लेकिन जिनको सिंचाई की वृद्धि योजनाएँ हैं वे सारी को सारी केन्द्र मंजूर करे और प्रान्त वाले उनके समक्ष सिफारिश करते रहें और बार-बार इधर से उधर चक्कर लगाते रहे, यह ठीक नहीं है—इसकी जिम्मेदारी प्रान्तों पर छोड़ी जानी चाहिये।

एक बात में क्षेत्रीय मन्तव्यन के बारे में कहना चाहता हूँ। क्षेत्रीय मन्तव्यन के बारे में तुरन्त विचार किया जाना चाहिये और प्रदेशों के विच्छेदन को दृष्टि

में रखते हुए उनकी आवश्यकता के आधार पर उनकी सहायता की जानी चाहिये। किसी भी राज्य का पिछड़ापन उसकी आबादी और उसके क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए निश्चित किया जाना चाहिये तथा उसमें प्राथमिकता निश्चित की जानी चाहिये। मान लीजिये जाय केरल को १०० मील सम्बन्धी सड़क देते हैं और मध्यप्रदेश को २५० मील देते हैं तो इससे कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। केरल में तो छोटा प्रदेश होने के कारण १०० मील सम्बन्धी सड़क धारदार हो जायगी, लेकिन मध्यप्रदेश में २५० मील सम्बन्धी सड़क से उसके मुख्यालय भी जुड़ नहीं पायेंगे। इसलिये हर प्रदेश की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए उनकी प्राथमिकता निर्धारित होनी चाहिये। साथ ही साथ हमें ऐसा माध्यम निकालना चाहिये जिसमें हम जनता की शिकायतों और अड़चनों को विधान सभा के माध्यम से दूर कर सकें।

